language, an from that day I have got this impression. In the present context of things, when we think of languages an their past glories, let us not merely make the languages as an instrument of past glory; we shall have to make the languages as an instrument for having a very glorious future also; an the future of the country, the future of the languages, the future of the regions lies in growing big, it lies in integrating with other important forces. Therefore when today Tamil Nadu becomes one of the States of India, it is really one more important step in the integration of different regions of this country into one India. We are proud that Tamil Nadu, one of the sister States of India, comes into its own as far as the name is concerned, and we are really very proud of it. A new history begins with a new name. Sometimes we say: what is there in the name? But I do agree that at least in big things names do count. I would ask Mr. Krishnamoorthi not to fight for small names. You have got the big name which, really speaking, matters, which is associated with the soul, the pride of the people. I am sure that this will start a new, a very inspiring, history for that State and for this country.

I support this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There was a motion for circulation, but the Mover is not present; so, that is not taken at all.

The question is:

"That the Bill to alter the name of the State of Madras, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are no amendments. I shall now put Clauses 2 to 8 to the vote of the House.

The question is:

"That Clauses 2 to 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI Y. B. CHAVAN: I move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion is carried unanimously.

The motion was adopted.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-NINTH REPORT

SHRI BHALJIBHAI PARMAR (Dohad): I beg to move:

"That this House do agree with the Thirty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th November, 1968."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th November, 1968."

The motion was adopted.

15.03 hrs.

RESOLUTION *RE*: STATUS OF JAMMU AND KASHMIR—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further discussion of the Resolution moved by Shri Atal Bihari Vajpayee on the 30th August, 1968, regarding status of Jammu and Kashmir. He has taken only one minute. Mr. Umanath wanted to raise a point of order, but he is absent. Now, we have got nearly two hours. The Mover of the next Resolution must have one minute. The hon. Member may please keep that in mind.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): और लोग भी तो बोलना चाहेंगे। आज खत्म नहीं होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have got a number of slips also.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि स्पीकर महोदय काश्मीर के बारे में एक अलग चर्चा की इजाजत देने जा रहे थे। बैलट में यह रेजोल्यूशन आ गया। तब तय हुआ कि इसी पर अधिक समय दिया जाए ताकि सभी वर्ग अपनी बात कह सकें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall see. Let the debate proceed.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अभी हम मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु रखने का एक पवित्र संकल्प कर चुके हैं। तमिलनाडु सुदूर दक्षिण में है जहां हिन्द महासागर भारत के चरण धोता है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी स्थित है जो अनादिकाल से भारत की अखण्डता की साधना में निमग्न है। अब मैं सदन को कन्याकुमारी से काश्मीर की ओर ले जाना चाहता हूं। सचमुच में एक ही दिन तमिलनाडु और काश्मीर की चर्चा भारत के समग्र चित्र को हमारे सामने उपस्थित कर देती है।

जम्मू काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन जम्मू काश्मीर का संविधान अभी तक अलग है। जम्मू काश्मीर भारत का अटूट भाग है। लेकिन जम्मू काश्मीर की नागरिकता पृथक है। काश्मीर को हम भारतमाता का किरीट कहते हैं। मुकुटमणि कहते हैं लेकिन काश्मीर राज्य का झंडा अलग है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है। भारत का संविधान जब शेष सब राज्यों के लिए उपयुक्त है तो क्या वह जम्मू काश्मीर राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है? भारत की जो नागरिकता भारत के पचास करोड़ नागरिकों के लिए आदर और गौरव का विषय है तो वह जम्मू काश्मीर के चालीस लाख नागरिकों के लिए गौरव का विषय क्यों नहीं है। हमारा तिरंगा सारे देश का प्यारा और सब की आंखों का तारा है। लेकिन तिरंगे के साथ काश्मीर में अपना अलग झंडा बनाया हुआ है। जब सभी देशी रियासतों के झंडे अतीत के गर्भ में विलीन हो गए तो केवल जम्मू काश्मीर का अलग झंडा रहे, इसका कोई औचित्य दिखाई नहीं देता।

प्रश्न यह है कि जम्मू काश्मीर और शेष भारत के बीच में यह द्वैत कब तक चलेगा? यह दुविधा कब तक चलेगी? जहां द्वैत है, वहां दुविधा है और जहां दुविधा है वहां पृथक्करण है, अलगाव है। हम आए दिन घोषणा करते नहीं थकते कि जम्मू काश्मीर उसी तरह से भारत का भाग है जिस तरह से अन्य राज्य या अन्य प्रदेश भारत के भाग हैं। लेकिन कुछ भेदभाव हम जम्मू काश्मीर के साथ कर रहे हैं, जिस पर इस सदन को विचार करना चाहिए।

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत का जो जवान, हमारी सेना का वीर युवक जो जम्मू-काश्मीर को बचाने के लिए, वहां की जमीन की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकता है, वह जम्मू काश्मीर में बस नहीं सकता। जम्मू काश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। क्या यह विचित्र बात नहीं है कि भारत की जनता की गाढ़ी कमाई को जो पूंजी जम्मू काश्मीर में पानी की तरह से बहाई जा सकती है, उसके खर्चे का हिसाब किताब मांगने का अधिकार यह संसद् नहीं रखती है? क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति जम्मू काश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते? अभी एक मामला अदालत में आया था और वहां की अदालत ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति जम्मू काश्मीर का "सबजैक्ट" नहीं है, जम्मू काश्मीर का प्रजाजन नहीं है, इसलिए जमीन नहीं खरीद सकता। राजा चले गए, महाराजाओं के मुकुट भूलुंठित हो गए लेकिन जम्मू काश्मीर में अभी राजा और प्रजा की बात चल रही है। पृथक नागरिकता के आधार पर वहां के कथित प्रजाजनों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं जिनसे बाकी के देश को वंचित कर दिया गया है।

जब संविधान बन रहा था और धारा 370 की चर्चा आई थी उस समय संविधान परिषद में जो कुछ कहा गया उसे थोड़े में दोहराने

की आवश्यकता है। मैं आपका और सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा कि धारा 370 "टैम्पोरेरी और ट्रांजीशनल प्राविजन" के अन्तर्गत है। हमारे संविधान का एक भाग अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्धों से सम्बन्ध रखता है और धारा 370 उसी के अन्तर्गत आती है। स्पष्ट है कि यह धारा अस्थायी है, अन्तर्कालीन है; यह भारतीय संविधान का स्थायी अंग नहीं बन सकती।

डा० गोपालस्वामी अय्यंगार जब धारा 370 पर चर्चा कर रहे थे, तो मौलाना हसरत मौहानी ने पूछा कि जम्मू-काश्मीर के साथ यह "डिसक्रिमिनेशन" क्यों हो रहा है। मैं उन की बात से सहमत हूं कि धारा 370 जम्मू-काश्मीर राज्य को विशेष स्थिति नहीं देती है; वह जम्मू-काश्मीर के साथ भेद-भाव करती है; उसे अन्य राज्यों की सतह पर नहीं आने देती है। डा० गोपालस्वामी अय्यंगार ने जो जवाब दिया, उस को मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"This discrimination is due to the special conditions in Kashmir. That particular State is not yet ripe for this kind of integration. It is the hope of everybody here that in due course even Jammu and Kashmir will become ripe for the same sort of integration as has taken place in the case of other States."

जब डा० अय्यंगार ने यह घोषणा की, तो संविधान सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। सारी संविधान सभा चाहती थी कि धारा 370 एक अस्थायी उपबन्ध रहे और वह समय शीघ्रातिशीघ्र आये, जब यह धारा निष्प्रयोजनीय करार दी जाए।

मुझे याद है कि 27 नवम्बर, 1963 को मेरे मित्र, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, के एक प्रश्न के उत्तर में स्वर्गीय नेहरूजी ने कहा था—मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"हमारी राय है कि धारा 370, जैसा कि संविधान में लिखा है, ट्रांजीशनल अर्थात् अस्थायी है।"

फिर किसी सदस्य के कहने पर उन्होंने अंग्रेजी में यह बात दोहराई। मैं फिर उद्धृत कर रहा हूं :

"Article 370, as the House will remember, is a part of certain transitional, provisional arrangements. It is not a permanent part of the Constitution. It is a part so long as it remains so.".

15.12 hrs.

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair.*]

भूतपूर्व विदेश मन्त्री, श्री चागला, ने संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के मामले में हमारा पक्ष बड़ी दृढ़ता, योग्यता और विद्वता के साथ पेश करने के बाद यह बात कही थी कि वर्तमान परिस्थिति में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, यह धारा समाप्त होनी चाहिए।

जम्मू-काश्मीर के आज के मुख्य मन्त्री, श्री सादिक, भी धारा 370 को समाप्त करने के पक्ष में रह चुके हैं। 28 नवम्बर, 1963 को उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि धारा 370 के कारण जम्मू-काश्मीर और शेष भारत के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है और एकीकरण को वास्तविक रूप देने के लिए इस दीवार को हटाना जरूरी है। मुख्य मन्त्री बनने के बाद भी 1 मार्च और 20 मई को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भाषण करते हुए श्री सादिक ने धारा 370 की समाप्ति के पक्ष में मत प्रकट किया था।

जम्मू-काश्मीर के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, बख्शी गुलाम मुहम्मद, जो इस सदन में मौजूद हैं, धारा 370 को समाप्त करने की बात कह चुके हैं। मैं नहीं जानता कि आज वह क्या कहेंगे।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) : जो मैंने कही है]

- [شری غلام محمد بخشی (شرینگر) : جو میں نے کہی ہے]

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : बख्शी साहब की जुबान एक ही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बहुत से लोग बदल गए हैं, लेकिन किसी के बदलने के कारण, किसी व्यक्ति के मत में परिवर्तन होने के कारण, इतिहास की प्रक्रिया को नहीं बदला जा सकता है, न संविधान के निर्माताओं की मंशा को बदला जा सकता है, न काल के चक्र को पीछे घूमने के लिए विवश किया जा सकता है।

धारा 370 में कुछ विचित्र बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह कही गई है :

"The provisions of article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir."

आज धारा 238 का पता नहीं है। उसका सम्बन्ध "बी" श्रेणी के राज्यों से था। वे राज्य समाप्त हो गए और उनके साथ धारा 238 भी समाप्त हो गई। फिर धारा 370 में "डोमीनियन आफ इंडिया" की बात कही गई है। अब भारत डोमीनियन नहीं है; भारत गणराज्य बन चुका है। धारा 370 में काश्मीर के महाराजा का भी उल्लेख है। अब काश्मीर के महाराजा नहीं है। अन्य राज्यों की तरह से वहां भी राज्यपाल हैं। इन दृष्टियों में भी यह धारा निष्प्रभावी और निष्प्रयोजनीय हो गई है।

धारा 370 को समाप्त करने की प्रक्रिया उसी धारा में बताई गई है। संविधान के निर्माताओं ने इस सम्बन्ध में लिखा है—मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify."

धारा 370 राष्ट्रपति को अधिकार देती है कि वह एक आदेश जारी कर के यह घोषित कर दें कि धारा 370 काम में नहीं आयेगी, या केवल कुछ मामलों के लिए इस धारा के प्रयोग की इजाजत होगी।

यह ठीक है कि संविधान के अनुसार यह काम राज्य सरकार से पूछ कर होना चाहिए। राज्य सरकार, जम्मू-काश्मीर की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है और इस परिवर्तन में उस की सहमति भी आवश्यक होगी।

यह प्रस्ताव लाने का मेरा इतना उद्देश्य ही है कि यह सदन अपनी इस मनीषा को, इच्छा को, प्रकट करे, उद्घोषित करे कि अब धारा 370 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निष्प्रयोजनीय, इनआपरेटिव, करने का वक्त आ गया है।

इस धारा का उपयोग कर के राष्ट्रपति ने अनेक आदेश जारी किए हैं, जिन के द्वारा जम्मू-काश्मीर प्रशासन के मामलों में, आर्थिक मामलों में, और अन्य मामलों में भी, शेष भारत के अधिक निकट आ गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र जम्मू-काश्मीर पर लागू है और भारत का चुनाव आयोग वहां के निर्वाचनों की देख-भाल करता है। वित्तीय एकीकरण हो चुका है। अनेक बातें हुई हैं। पूर्ण एकीकरण की दिशा में, वे बातें अच्छी हुई हैं और हम उन का स्वागत करते हैं। मगर मेरा निवेदन है कि अब एक ही बार में, एक ही प्रहार में, पूरा काम करने का वक्त आ गया है।

जम्मू-काश्मीर और शेष भारत के बीच में आज एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी है। यह दीवार जम्मू-काश्मीर में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करती है। यह दीवार भारत विरोधी तत्वों को बलप्रदान करती है। यह दीवार एकीकरण के मार्ग में बाधा है। समय आ गया है कि अब यह मनोवैज्ञानिक रुकावट दूर कर दी जाए और जम्मू-काश्मीर अन्य राज्यों की तरह से भारतीय गणराज्य में आदर और बराबरी का स्थान प्राप्त करे।

मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि जम्मू-काश्मीर की विशेष स्थिति को बनाए रखने पर बल क्यों दिया जा रहा है।

जिन परिस्थितियों में विशेष दर्जा देने की बात कही वह परिस्थियां आज नहीं हैं। जम्मू-काश्मीर की संविधान सभा गठित हुई थी और उस ने भारत के साथ जम्मू-काश्मीर को मिलाने का अन्तिम निर्णय किया। कोई एक व्यक्ति उस संविधान सभा में उपस्थित नहीं था इसलिए उस संविधान सभा का निर्णय नहीं बदला जा सकता। एक बार जब जम्मू काश्मीर भारत का भाग बन गया तब फिर उसे अन्य राज्यों के समकक्ष लाया जाना चाहिए। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जम्मू-काश्मीर की विशेष स्थिति बनी रहे। क्या यह कहने वाले साम्प्रदायिकता का परिचय नहीं देते? जम्मू-काश्मीर की विशेष स्थिति क्यों रहनी चाहिए? वह बराबरी के दर्जे पर क्यों नहीं आना चाहिए? जो लोग यह शिकायत करते हैं कि भारत में हम दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं वही जम्मू-काश्मीर में विशेष स्थिति बनाए रखने की बात भी करते हैं। हम चाहते हैं सब का दर्जा हो, अधिकार बराबर हों, स्वाधीनता बराबर हो, अवसर बराबर हों। लेकिन बराबरी में फिर विशेष दर्जा नहीं चल सकता।

कुछ दिन पहले श्रीनगर में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में परस्पर विरोधी बातें कही गई। लेकिन कहा जाता है कि उस सम्मेलन का यह निष्कर्ष अच्छा निकला कि यह बात साफ हो गई कि जम्मू-काश्मीर का मामला भारतीय संघ के अन्तर्गत हल होगा। तो क्या भारतीय संघ के बाहर ले जा कर जम्मू काश्मीर का मामला हल हो सकता है? क्या यह सदन और यह सरकार इस बात की इजाजत देगी? प्रश्न बाहर जाने का नहीं है। जम्मू-काश्मीर को बाहर तो कोई ले नहीं जा सकता और जो सरकार इस मामले में ढिलाव करेगी वह जनमत के रोष के सामने टिक नहीं सकेगी।

प्रश्न यह है कि क्या हम जम्मू-काश्मीर के सम्बन्ध में आज तक की संवैधानिक प्रक्रिया को पलटना चाहते हैं? क्या हम फिर से 1953 में जाना चाहते हैं? क्या विशेष दर्जे के नाम पर यह भेदभाव और पक्षपात बनाए रखना चाहते हैं? मेरा निवेदन है ऐसी मांग करना राष्ट्रीयता के प्रतिकूल है। यह लोकतंत्र पर कुठाराघात है। असाम्प्रदायिकता के नारे लगाने वाले जम्मू काश्मीर के विशेष दर्जे की वकालत करें यह मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि विशेष दर्जा रखने से साम्प्रदायिकता पनपती है। सब से बड़ी बात यह है कि उससे जम्मू काश्मीर की जनता के साथ भेदभाव होता है।

आज जम्मू काश्मीर की स्थिति क्या है? राज्य का आन्तरिक स्थिति विस्फोटक है। वहां तूफान के पहले की शांति है। पाकिस्तानी घुसपैठिए घाटी में सक्रिय हैं। कुछ ही दिन पहले एन० सी० सी० की बन्दूक लूटने का प्रयत्न किया गया। नवजवानों का एक वर्ग उतावला हो रहा है। अलीगढ़ से गए हुए अध्यापक उन्हें कुछ ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिस से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पृथकता का पोषण हो रहा है। पाक-समर्थक तत्व खुले आम लोगों को भड़का रहे हैं। जगह जगह राष्ट्रपति अयूब खां के चित्र देखे जा सकते हैं। कभी कभी हमारी सेना की लारियों पर पथराव होता है, जवानों को अपमानित किया जाता है। जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान वहां काम कर रहे हैं उस में उन को बधाई दी जानी चाहिए। मैं उन का अभिनन्दन करना चाहता हूं। उत्तेजना होते हुए भी वह धैर्य के साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है इसके कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं :—

1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय ऊधापुर जिले की माहुर चौकी पर कुछ स्थानीय लोगों ने और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमला किया था। पंजाब पुलिस के 13 जवान मारे गए थे। काफी लोग पकड़े गए। कुछ पर मुकदमे चले। लेकिन किसी को दंडित नहीं किया जा सका। पंजाब के जवानों का रक्त आज भी वहां पुकार रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

जम्मू काश्मीर में गत पांच वर्षों में 200 जगह आग लग चुकी है। उस आग के परिणामस्वरूप दस करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगाने वाले कौन हैं, इस का कुछ पता नहीं है। सरकार उन की खोज करने में विफल रही है।

अरब-इजरायल संघर्ष के समय श्रीनगर में दो गिर्जाघर जला दिए गए थे, लाखों की सम्पत्ति लूटी गई थी। मगर किसी को दंडित नहीं किया जा सका।

काश्मीरी पंडितों के आन्दोलन में लोग मरे, घायल हुए, मकानों को आग लगाई गई। मगर किसी को सजा नहीं दी जा सकी।

प्रति दिन हम जासूसों और पंचमांगियों की गिरफ्तारी के समाचार पढ़ते हैं। अभी-अभी सुना है कि कोई बड़ा जासूसों का गिरोह पकड़ा गया है मगर जासूसों पर मुकदमा चलाने के बजाए उन्हें जेल में नजरबन्द रखा जाता है और नजरबन्दी में उन के साथ राजनैतिक नेता जैसा व्यवहार किया जाता है।

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 1965 में पाकिस्तानी घुसपैठियों की मदद करने वाला एक अफसर अब राज्य विधान सभा का सदस्य बन गया है? यह अफसर पहले पुछ में ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर था। जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ वह गायब हो गया और जब पाकिस्तान ने रेवोल्यूशनरी कौंसिल बनाई तो उस का वह मेम्बर था। जब हमारी फौज ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया तो यह सज्जन भी प्रकट हो गए। इन्हें नौकरी में ले लिया गया। विशेष कमिश्नर ने इन के खिलाफ शिकायत की थी। जांच हो रही थी। मगर राज्य सरकार ने मामला उठा लिया। और छः महीने बाद वह विधान सभा के सदस्य बन गए। जो पाकिस्तानियों के साथ चला गया था, जो पाकिस्तान द्वारा स्थापित रेवोल्यूशनरी कौंसिल का सदस्य था, आज वह राज्य की विधान सभा का सदस्य है।

1965 में 75 हजार लोग पाकिस्तान चले गए थे। वह वापस आ रहे हैं। कुछ लोग तो गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा ले कर आ रहे हैं। उस समय गृह मन्त्री नन्दा जी थे और रक्षा मन्त्री श्री चव्हाण थे। उन्होंने उस समय कहा था कि जो चले गए हैं उन्हें अन्धाधुन्ध नहीं आने दिया जायगा। उन की छानबीन की जाएगी जिस से वह भारत में आ कर यहां की सुरक्षा को संकट में न डाल सकें। मगर छानबीन करने का कोई प्रबन्ध नहीं है। जो प्रबन्ध है वह देशभक्तों के विरुद्ध काम में लाया जा रहा है और पाकिस्तान गए हुए फिर से वापस आ रहे हैं।

आश्चर्य की बात तो यह है कि जम्मू काश्मीर के जिन नागरिकों को पाकिस्तानियों ने लूटा, परेशान किया उन्हें तो सरकार प्रति परिवार 120 रुपया मदद दे रही है और जो पाकिस्तान चले गए थे, किन्तु अब वापस आ रहे हैं उन्हें प्रति परिवार 600 रुपया दिया जा रहा है।

पाकिस्तान को मदद देने वालों को पुरस्कार और भारत के प्रति वफादार रहने वालों को तिरस्कार, जम्मू काश्मीर में अपने परायों को न पहचानने का यह दृश्य कब तक चलता रहेगा? क्या इस जम्मू काश्मीर की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है? क्या इस से घाटी में जो भारत-पक्षीय तत्व हैं उन को प्रोत्साहित किया जा सकता है?

सभापति जी, राज्य की वित्तीय स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। अभी तक केन्द्र की ओर से राज्य को 300 करोड़ रुपये से अधिक अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में, वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए हैं। आज स्थिति यह है कि राज्य न तो कर्जे की रकम की किस्त दे सकता है और न कर्जे का व्याज ही चुका सकता है। पंच वर्षीय योजनाओं में राज्य का हिस्सा कम होता जा रहा है। प्रथम योजना में जम्मू काश्मीर राज्य ने 27 प्रतिशत योगदान दिया था। दूसरी योजना में यह योगदान 12 प्रतिशत रह गया। तीसरी में 6 प्रतिशत, चौथी

योजना 225 करोड़ रुपए की बनने वाली है। उस में जम्मू काश्मीर राज्य का कहना है कि हम कुछ नहीं दे सकते। पूरा रुपया नई दिल्ली से आना चाहिए।

जम्मू काश्मीर हमारा भाग है। उस पर रुपया खर्च करना किसी को खलता नहीं है। हमने जम्मू काश्मीर के लिए रक्त बहाया है। हम पसीना बहा रहे हैं। हम जम्मू काश्मीर के लिए धन भी खर्च कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जो रुपया जम्मू काश्मीर में खर्च होता है वह ठीक तरह से खर्च होता है या नहीं इस की जांच कौन करेगा? क्या संसद केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि की जांच करने का अधिकार नहीं रखती? कौनसी बाधा इस प्रकार की जांच करने में है? अगर कोई बाधा है तो उसे हटा देना चाहिए। जो रुपया हम देते हैं वह ठीक तरह से खर्च होता है या नहीं, इस की जांच पड़ताल का हमें अवसर मिलना चाहिए।

15·31 hrs.

(MR. SPEAKER *in the Chair.*)

अध्यक्ष महोदय, दोहरे आक्रमण से ग्रस्त इस राज्य में एक सुदृढ़, सक्षम और स्वच्छ प्रशासन की आवश्यकता है, किन्तु वर्तमान प्रशासन दुर्बल है, सुस्त है और भ्रष्ट है। शासन में नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं होती, राजनैतिक, साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय आधार पर होती हैं। प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जगह नहीं बनाई जाती, राज्यकर्ताओं और उन के सगे सम्बन्धियों को नौकरी देने के लिए पद कायम किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा—जम्मू काश्मीर राज्य में कुल 32 तहसीलें हैं, लेकिन तहसीलदारों की संख्या लगभग 75 है और नायब तहसीलदारों की संख्या 100 है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इतने तहसीलदार करते क्या हैं? कहा जाता है कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती रहें, लेकिन जम्मू-काश्मीर में एक तहसील में दो तहसीलदार कैसा काम कर सकते हैं, इस की सहज ही में कल्पना की जा सकती है।

राज्य की कुल आमदनी 16 करोड़ रुपए है, मगर कर्मचारियों की तनख्वाहों पर 20 करोड़ खर्च हो रहा है। सन 1947 में 10 हजार कर्मचारी थे, लेकिन 1963–64 में 66 हजार हो गए और 1967-68 में यह संख्या बढ़ कर 91 हजार हो गई है। राज्य की सारी आमदनी तनख्वाहों पर खर्च हो जाती है। राज्य के विकास के लिए धन कहां से आयेगा कम से कम हम जो धन देते हैं वह ठीक तरह से खर्च हो, इस का हमें प्रबन्ध करना होगा।

नियुक्तियां किस ढंग से की जाती हैं। हाल ही में इस का एक उदाहरण मिला है। वहां के मेडिकल कालिज में एक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है 1000–1500 रु० के ग्रेड में। जो पुराने प्रोफेसर थे उन का दावा रद्द कर दिया गया। अभी तक वहां किसी को सीधे प्रोफेसर नहीं बनाया जाता था, असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू करते थे, मगर एक सज्जन 29 सितम्बर, 1968 को हवाई-अड्डे पर उतरे, वह राज्य के एक बड़े नेता के सम्बन्धी थे, उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया और आश्चर्य की बात यह है कि ये सज्जन राज्य के पैसे पर विदेश में डाक्टरी पढ़ने के लिये गये, लेकिन वह सीधे यहां वापस नहीं आए, पहले पाकिस्तान गए, साल भर वहां टक्करें मारते रहे, पाकिस्तान में नौकरी की कोशिश करते रहे, लेकिन जब पाकिस्तान में जगह नहीं मिली, तो श्रीनगर आए और श्रीनगर में उन्हें एक दम प्रोफेसर बना दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसरों के हक को मार दिया गया। क्या इन तरीकों से कर्मचारियों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा? क्या उन में कर्तव्यनिष्ठा जागेगी? अगर न्याय नहीं होगा तो कोई अपना कार्य ठीक तरह से करना नहीं चाहेगा।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अध्यक्ष महोदय, हाल में ही हमारे राष्ट्रपति महोदय ने राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्य के 25 अफसरों को आई० ए० एस० और आई०पी०एस० में भरती किया है, किन्तु इन अफसरों का चयन करते समय न योग्यता देखी गई, न प्रमाणिकता देखी गई, अफसरों की नियुक्ति में वरिष्ठता का भी ध्यान नहीं रखा गया। इन में एक अफसर ऐसा भी है जो काश्मीर षड़यन्त्र काण्ड में अभियुक्त था, शेख अब्दुल्ला के साथ था, लेकिन अब वह आई० ए० एस० अफसर हो गया है। कुछ आई० ए० एस० अफसर ऐसे हैं जो ग्रेजुएट नहीं हैं, कम से कम दो को मैं जानता हूं जो मैट्रिकुलेट हैं। अब अगर आई०ए०एस० के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उस का स्वागत करूंगा, लेकिन डिग्री का न होना केवल काश्मीर में ही प्रभावी नहीं होना चाहिए, सारे देश में होना चाहिए। सारे देश में डिग्रियां देखी जाएंगी और काश्मीर में मैट्रिकुलेट को आई०ए०एस० अफसर बनाया जाएगा, इस का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता और मैं देखूंगा कि गृह मन्त्री कितनी चतुरता से इस बात पर लीपा-पोती करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरी मांग है कि राष्ट्रपति महोदय धारा 370 का उपयोग कर के, राज्य सरकार की सहमति से, इस धारा को निष्प्रयोजनीय घोषित कर दें। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा यह काम हो सकता है। यह काम अब तक नहीं हुआ है। यह खेद की बात है, यह काम अब हो जाना चाहिए। समय आ गया है, राज्य में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की आवश्यकता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया नई दिल्ली से शुरू होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय इस काम को आरम्भ कर सकते हैं।

दूसरी बात—भारत के संविधान को पूरी तरह से जम्मू-काश्मीर में लागू किया जाना चाहिए। जम्मू-काश्मीर भारत का एक अटूट भाग है, हम उस के साथ भेद-भाव नहीं कर सकते, हम वहां के नागरिकों को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, भारतीय नागरिकता की गौरव-गरिमा से वंचित नहीं कर सकते। उन नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक दीवार हटा दी जाए और भारतीय संविधान को जम्मू-काश्मीर में पूरी तरह से लागू किया जाए।

मेरी तीसरी मांग है कि एक सर्वदलीय संसदीय समिति बननी चाहिए, जो इस बात की जांच करे कि अब तक केन्द्र ने जम्मू-काश्मीर को जो रुपया दिया है, वह किस तरह से खर्च किया गया है। भविष्य में दिया जाने वाला रुपया राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के लिए खर्च हो। इस दृष्टि से भी इस जांच की आवश्यकता है।

मेरी चौथी मांग यह है कि सरकार इस बात की स्पष्ट घोषणा करे कि जब तक शेख अब्दुल्ला और उन के साथी अपने को भारतीय नहीं कहते, जब तक वे स्वीकार नहीं करते कि जम्मू-काश्मीर भारतीय संघ का अटूट और अभिन्न अंग बन चुका है और जब तक वे पाकिस्तान को हमलावर नहीं कहते, उन के साथ किसी तरह की समझौता वार्ता नहीं होनी चाहिए

मेरी पांचवी मांग यह है कि जम्मू और लद्दाख के प्रति जो भेद-भाव की नीति बरती जा रही है, गजेन्द्रगडकर कमीशन के चलते हुए भी जो नीति अपनाई जा रही है, उसे समाप्त करना बहुत आवश्यक है। नौकरियों में, आर्थिक नियोजनों में, उद्योगधन्धों म जम्मू तथा लद्दाख की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

कुछ लोग जम्मू की स्वायत्तता का नारा लगा रहे हैं, हम इस नारे को खतरनाक समझते हैं। भाषा के आधार पर जम्मू-काश्मीर के पुनर्गठन की मांग हो सकती है, जिन्होंने पंजाब का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया, वे जम्मू-काश्मीर में उस प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, मगर मेरा मत है, मेरे

दल का मत है कि इस समय भाषा के आधार पर जम्मू-काश्मीर के पुनर्गठन की बात करना वहां पर भारत के लिए संकट को मोल लेना होगा। लेकिन यदि जम्मू और लद्दाख के साथ न्याय नहीं किया जाएगा तो वहां पर क्षेत्रीयता को प्रोत्साहन मिलेगा।

यह भी जरूरी है कि जम्मू-काश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किया जाए। अब तक वहां कोई सैन्ट्रल प्रोजैक्ट नहीं है। 20 साल से जम्मू-काश्मीर भारत का भाग है, हम 300 करोड़ रुपये जम्मू-काश्मीर को दे चुके हैं, लेकिन कोई सैन्ट्रल प्रोजैक्ट वहां शुरू नहीं किया गया। बहुत दिनों से चर्चा सुन रहे हैं कि वहां टेलीफोन का कारखाना लगने वाला है, वह कब तक लगेगा, कितनी लागत का होगा, उस से कितने लोगों को काम मिलेगा। यह हम जानना चाहते हैं। दस्तकारियों, घरेलू उद्योग-धन्धों को जम्मू-काश्मीर में बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध रीति से प्रयत्न किया जाना चाहिए। वहां पर नौजवान पढ़ कर निकल रहे हैं, जब वे बेकार रहते हैं तो भड़कावे में आ जाते हैं, उन के लिए काम के अवसर जुटाने की आवश्यकता है।

हम ने अनलाफुल एक्टिविटीज़ बिल को ऐक्ट का रूप दे दिया है। अब कोई व्यक्ति भारत के किसी हिस्से को बाहर ले जाने की बात नहीं कर सकता। जो संगठन इस तरह की बात कहता है, उस को अवैध घोषित किया जा सकता है। मैं समझने में असमर्थ हूं कि वह कानून अब तक जम्मू-काश्मीर में लागू क्यों नहीं किया गया। जो लोग भारत में रह कर भारत से बाहर ले जाना चाहते हैं, वे कानून के अन्तर्गत अपराधी हैं और उन के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब शेख अब्दुल्ला दिल्ली आए थे तो उन्होंने मुझ से मिलने की तकलीफ की थी और वह यह शिकायत करते थे कि भारतीय लोकतन्त्र माधवपुर की चौकी तक है, ज्यादा से ज्यादा वह बनिहाल-पास तक है, लेकिन काश्मीर की घाटी में भारतीय लोकतन्त्र नहीं पहुंचा है। मुझे जो उत्तर देना था वह मैंने दिया

गृह कार्य मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण: आपने क्या उत्तर दिया?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने कहा —शेख साहब, जब आप थे, तब तो लोकतन्त्र माधवपुर की चौकी के पार भी नहीं घुस सकता था, तब तो माधवपुर की चौकी पर परमिट लगा हुआ था। लेकिन मैंने उन से कहा कि हम आप से सहमत हैं कि भारतीय लोकतन्त्र काश्मीर की घाटी में भी पहुंचना चाहिए। नागरिकों को मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए, नागरिक स्वाधीनता समाप्त नहीं की जानी चाहिए, प्रामाणिक मत-भेदों को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो दल भारत में काम कर रहे हैं, वे जम्मू-काश्मीर में भी काम करें, यह आवश्यक है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वहां हरदम दफ़ा 144 लागू रहती है। जो पाकिस्तान परस्त तत्व हैं वह खुलकर खेलते हैं लेकिन भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले दल काम नहीं कर सकते हैं। यह ठीक है कि सादिक साहब के आने के बाद स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन कुछ ही सुधरी है, उस स्थिति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

जम्मू-काश्मीर के नागरिकों को समझाने की आवश्कयता है कि एक ओर भारतीय गणराज्य है जहां पर बोलने, लिखने और संगठन बनाने की आजादी है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से शासन बदला जा सकता है, जहां इस महान राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनने का आनन्द और अभियान अनुभव किया जा सकता है और दूसरी ओर पाकिस्तान है जहां पर बुनियादी लोकतन्त्र के नाम पर जनता की स्वाधीनता का गला घोंट दिया गया है, जहां पर विरोधी दल के नेताओं की जगह संसद में नहीं बल्कि जेल में है। जम्मू-काश्मीर के नागरिकों को

[अटल बिहारी वाजपेयी]

भारत और पाकिस्तान का यह फर्क समझना चाहिए और यह हमारा काम है कि हम उन्हें समझाएं। मैं जानता हूं कि जम्मू काश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं, यदि मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन वहां एक वर्ग ऐसा है जो पाकिस्तान का हौवा खड़ा रखना चाहता है। इस हौवे का हमें निराकरण करना होगा और जम्मू-काश्मीर की जनता को विश्वास दिलाना होगा कि वे भारतीय गणराज्य में बराबरी के साझीदार हैं। लेकिन इसके लिए भद-भाव की सारी दीवारें गिरनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें पृथक करने वाले सारे तत्व समाप्त किए जाने चाहिएं। इसलिए मैंने अपने प्रस्ताव द्वारा मांग की है कि धारा 370 को समाप्त किया जाए और अन्य ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे जम्मू-काश्मीर न केवल सांविधानिक रूप से भारत का अटूट अंग बने जो वह आज है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा ले और जम्मू-काश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक के नाते अपने अधिकारों का उपयोग और अपने कर्त्तव्य का पालन करें। मुझे विश्वास है कि सदन मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेगा और सरकार को भी इस सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Resolution moved:

"This House is of opinion that the present anomalous status of Jammu and Kashmir State under which even though the State is an integral part of India, it has a separate Constitution, a separate Head of State and a Separate Flag should be ended, and the State should be brought fully at par with the other Indian States; and to this end the House recommends that all necessary steps, such as abrogation of article 370, be initiated forthwith."

There are some amendments. Are they being moved?

SHRI ABDUL GHANI DAR (Gurgaon): I beg to move:

That in the resolution,—

(i) *after* "opinion that" *insert*— "the question of ending";

(ii) *for* "ended, and the State should be brought fully at par with the other Indian States; and to this end the House recommends that all necessary steps, such as abrogation of article 370, be initiated forthwith"

Substitute—

"referred to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir for their recommendation"(1).

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to move:

That in the resolution,—
omit, a "separate Head of State"(2).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: अध्यक्ष जी, मेरे संशोधन का क्या हुआ? मैंने संशोधन दिया था, जिसके शब्द ये हैं: "जम्मू-काश्मीर राज्य की सीमाओं पर बार-बार पाकिस्तानी घुसपैठियों के प्रवेश करने से जो राज्य में तोड़-फोड़ आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पाकिस्तान से लगती हुई सीमाओं पर सेना के सेवानिवृत जवानों और अधिकारियों को सुविधा देकर बसाया जाए।

जम्मू और काश्मीर का जो भाग अब तक पाकिस्तान के अधिकार में आजाद काश्मीर के नाम से है उसे प्राप्त करने के लिए भी हर सम्भव उपाय किए जाएं।"

आपके कार्यालय से सूचना मिली है कि हमारा यह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया जबकि नियत समय पर, 19 नवम्बर को मैं ने संशोधन भेजा है जोकि समय पर प्राप्त हुआ है तो क्या कारण है कि मेरा यह संशोधन शामिल नहीं किया गया?

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर): जनाबे सदर, मैं ने वाजपेयी जी की तकरीर बहुत गौर से सुनी। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिनके साथ मुझे जाती

इत्तफाक है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था, बख्शी साहब भी कहते थे कि दफा 370 को हटा दिया जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने मुझ को गलत समझा है। मने हमेशा आर्टिकिल 370 की हिमायत की है, तब भी और आज भी। उसके खास वजूहात हैं ..... (व्यवधान) ..

मेरी हमेशा यह कोशिश रही है कि आर्टिकल 370 के बावजूद काश्मीर, हिन्दुस्तान का एक हिस्सा, दूसरे के करीब ज्यादा से ज्यादा आ जाए जिसको कि हम कहते हैं, क्लोजर इंटिग्रेशन, हर लिहाज से, और खास तौर पर इमोशनल इंटिग्रेशन, जिसका मैं बेहद कायल हूं, जिसके लिए मैंने काम किया है और आगे भी करता रहूंगा।

वाजपेयी जी ने फर्माया कि प्रेसीडेन्ट आफ इंडिया को काश्मीर में जायदाद या जमीन खरीदने का हक नहीं है। मेरे ख्याल में यह बात दुरुस्त नहीं है। प्रेसीडेन्ट आफ इंडिया के नाम पर वहां एक नहीं बल्कि बीसियों जायदादें वक्त मौजूद हैं, डाकखाने, तारघर, रेस्ट हाउस, गैस्ट हाउस वगैरह। लिहाजा यह जो इन्फार्मेशन थी, उसके शायद गलत माने निकाले जाते हैं कि प्रेडसीडेन्ट आफ इंडिया भी नहीं खरीद सकता है। ..... (व्यवधान)। .....किराए पर नहीं बल्कि मिल्कियत।

एक माननीय सदस्य : जाती मिल्कियत।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : प्रेसीडेन्ट आफ इंडिया की मिल्कियत जाती होती है या वैसी, यह तो कृपालानी जी बताएंगे। तो वहैसियत प्रेसिडन्ट आफ इंडिया, वहां पर ये तमाम जमीनें हैं। ..... (व्यवधान) .....

दूसरी बात ट्राई-कलर की बाबत कही। ट्राई कलर की उतनी ही इज्जत जम्मू काश्मीर में है कि जितनी कहीं और है। ट्राई-कलर के नीचे वहां कुर्बानियां दी गई हैं, लोग मरे हैं ट्राई कलर को ऊंचा रखने के लिए और उसको वे और ऊंचा रखना चाहते हैं। जम्मू काश्मीर के इन्सान ट्राई कलर पर अपनी जान तक दे सकते हैं लेकिन उस पर आंच नहीं आने देंगे। यही उन्हों आजतक किया है और आगे भी करेंगे।

अब जहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है, आपने कहा कि यह टैम्पोरेरी है, ट्रांजीशनल है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम कांस्टीट्यूशन को देखें तो हैडिंग यही है लेकिन यह बात सिर्फ आर्टिकल 370 तक ही नहीं है, बल्कि 370 से लेकर 395 तक है। जब आप 370 की बात कर रहे हैं तो फिर जिन आर्टिकिल्स का ताल्लुक जम्मू काश्मीर के साथ है, 303, 390, 394, 395। इन सभी को जेरे गौर रखना होगा, और तभी वाजय बात हमारे सामने आयेगी। आपने कहा कि यह आया कैसे है, जम्मू काश्मीर है क्या, वहां के लिए जो अलग आर्टिकल है उसे हटाया जाए, एब्रोगेट किया जाए। आप एब्रोगेट करना चाहते हैं जम्मू काश्मीर को कांस्टीट्यूशन को, जिसकी इब्तिदा यों होती है :

"The State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India."

यह है जम्मू काश्मीर का कांस्टीट्यूशन :

"The territory of the State shall comprise of all the territories which on the fifteenth day of August, 1947 were under the sovereignty or suzerainty of the ruler of the State."

अगर आप अपने आईन को देखिए तो इसमें यह चीजें साफ नहीं की गई हैं बल्कि मैं दयानतदारी से समझता हूं कि इस आईन के पीछे कोई ऐसी बात नहीं है बल्कि जो है वह हमको ज्यादा करीब लाती है और ज्यादा मजबूती देती है। बाकी और जो बातें आपने उठायी, दरअसल मसला क्या है, यह 370 नहीं हर एक शख्स की यहां ख्वाहिश है, वाजपेयी जी की भी है,

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

और 370 आज तक बराबर डिस्कस हुआ और 370 के मुताल्लिक गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा यही आया कि कांस्टीट्यूएंट असेम्बली बने जिन बातों को सामने रख कर 370 को वजूद में लाया उसमें महज एक पार्टी नहीं थी उसमें तमाम की तमाम पार्टियां उस वक्त बैठी थीं और बहुत बड़े-बड़े हिन्दुस्तान के लीडर बैठे थे, उन्होंने वाकायात और हालात का जायजा ले कर इस आर्टिकल को सूरत दी थी और सूरत दी थी पाकिस्तान को सामने रखते हुए। और पाकिस्तान का वजूद काश्मीर के ताल्लुक में खत्म नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा मजबूत होता जाता है। इस वजह से नहीं कि हम कमजोर हैं, हमने एक नहीं बीसियों बार पाकिस्तान का मुकाबला किया और बीसियों बार मुकाबला करना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाता हूं कि रियासत के रहने वालों का जहां तक ताल्लुक है इस में वह किसी से पीछे नहीं रहेंगे, आगे यकीनन बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान का प्रोपेगन्डा, पाकिस्तान की वह तमाम मशीन और पाकिस्तान की तमाम बातें जो उस जमाने में 1947 से पहले कही जाती थीं उससे ज्यादा जोरों से आज दोहराई जाती हैं। तो उस वक्त हम यह कहते, वह हमेशा सुबह से शाम तक रेडियो पर 24 घन्टे में से 12 घन्टे काश्मीर पर खर्च करते हैं कि तुमको खा जाएंगे, तुमको खा जाएंगे और हम दूसरी तरफ उठते हैं, यह कहते हैं कि तुमने क्लात को खत्म किया, बहावलपुर को खत्म किया, तुमने सिंध को खत्म किया, नौर्थ वैस्ट फ्रन्टियर को खत्म किया और तमाम सब को मिला कर, उनकी ऐन्टिटी को खत्म कर के उन को वैस्ट पाकिस्तान बना दिया। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है, जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, रियासत को उन्होंने एक जगह दी है, एक ऐसी जगह दी है although I know and you know what is in Art. 370. 370 का असली मकसद क्या है, वह भी मैं अर्ज करूंगा, लेकिन उनको जवाब देने के लिए मेरा अपना ख्याल है कि आप को काश्मीर के साथियों के, जम्मू के साथियों के हाथ मजबूत करने होंगे ताकि वह उनका इफेक्टिव जवाब दें। उस वक्त वह खामोश हो जाते हैं जब हम उन से पूछते हैं कि तुम्हारा क्लात क्या हुआ, बहावलपुर का क्या हुआ, सिंध कहां है, नार्थ वैस्ट फ्रन्टियर कहां है? लेकिन काश्मीर हिन्दुस्तान में जाने के बावजूद 1947 में जो पूजीशन अख्तियार की थी वही आज भी कायम है। 20 साल गुजरने के बावजूद, हिन्दुस्तान ग्रेट नहीं करना चाहता बल्कि हम अपनी खुशी से हिन्दुस्तान का हिस्सा हैं और रहेंगे।

मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इसके पीछे एक नेसेसिटी है जिसको पंडित जवाहर लाल नेहरू, गोपाला स्वामी आयंगर और स्वर्गवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डाक्टर अम्बेदकर इस किस्म के लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई सोचने समझने वाले इनसान थ और वह समझते थे। आज भी वही पोजीशन है।.....

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने अपनी जान दी वहां पर।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी: मैं कांस्टीट्यूएंट असेम्बली की बात कर रहा हूं। डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जान दी, मैं नहीं जानता। आज सूरत क्या है? वह यह है कि जिनका तजकिरा माननीय वाजपेयी जी ने अपनी तकरीर में किया। ईमानदारी से मैं यह कह सकता हूं, उसमें सवाल होगा कि आपने क्या किया? आप 10 साल तक वहां थे। मैंने कहा गलतियां हुई होंगी उन पर नजर न डालो, लेकिन जो जरूरी है करना वह आज करो। यह कहना कि शेख ने क्या किया, बख्शी ने क्या किया या सादिक क्या कर रहा है इससे कोई फायदेमन्द बात सामने आयेगी? अगर आप चाहते हैं कि काश्मीर का इंटेग्रेशन हो हर लिहाज से, इमोशनल ऐंड अदरवाइज, उसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया वह स्टेप्स ले जो लाजिम है।

जैसा कि उन्होंने कहा कि वहां आज तक 20 साल गुजरने के बावजूद एक भी सैन्ट्रल प्रोजेक्ट नहीं खुला कि जिसकी देखभाल आप करते। वहां इस वक्त आप का सर्वे, आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट मानता है कि 5 मिलियन किलोवाट बिजली पैदा करने की गुंजायश है। और दरिया चनाब का सर्वे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। वह आपकी पावर शार्टेज तमाम नार्दर्न इंडिया की इनक्लूडिंग राजस्थान प्लस वैस्टर्न यू० पी० उसको दूर कर सकता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब एक जमाने से सुनते हैं कि टैलीफोन इंडस्ट्री वहां लगेगी, पता नहीं कब तक लगेगी। तो फिर सूरत यह थी कि कुछ न कुछ इस तरफ हम जाते, लेकिन उस तरफ नहीं गए। असल में हम हिन्दुस्तान और मरकज़ी सरकार के बेहद मशकूर हैं कि जैसे और स्टेट्स को कर्जा दिया गया, लोन्स दिए गए, एडवान्सेज, दिए गए, मदद दी गई, जम्मू-काश्मीर को भी 1947 से लेकर आज तक 150 करोड़ रुपया बतौर कर्ज के दिया और 150 करोड़ में कुछ प्रिन्सिपिल की तरफ भी अदायगी हुई है और कुछ इंटरेस्ट भी अदा हुआ है। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। मुझे मालूम नहीं है कि और स्टेट्स का क्या हाल है। लेकिन यह 300 करोड़ नहीं 150 करोड़ है और उस में दोनों तरफ़ अदायगियां हुई हैं। यह सब कुछ करने के बावजूद काश्मीर को अगर आपको उठाना है, काश्मीर की प्रौवंशियल गुरबत को, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करना है तो हमको सोचना पड़ेगा बिला इमतियाज इसके कि यह जनसंघ है, कांग्रेस है, इंडिपेंडैन्ट है, एस० एस० पी० है या पी० एस० पी० है। यह आपका नेशनल क्वेश्चन है। मैं अर्ज़ करूंगा कि इसमें नेशनल एँप्रोच होना चाहिए कि क्या करें।

आज काश्मीरी परेशान है कि क्लाइमेटिकली 6 महीने वह कमाता है और 12 महीने के उसके अखराजात हैं। उस पर अगर वह नेचुरल कैलेमिटीज से बचा तब वह 6 महीने खा जाएगा। लेकिन वैसे वह परेशान रहता है। काश्मीर आज वह नहीं है जो 1947 में था। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस डायरेक्शन में बहुत कुछ करने की जरूरत है और बहुत कुछ सोचने की जरूरत है।

दूसरी बात क्लोजर इंटेग्रेशन शुरू मैंने कराया था। फ़ाइनेंशियल इंटेग्रेशन, इलेक्शन, कमीशन परमिट हटाओ का सिलसला चलाया। आई० ए० एस०, आई० पी० एस० के बारे में ईमानदारी से मैं आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि यहां जनाब लेने के देने पड़ गए। अगर हम अपनी जगह होते तो शायद अपने अन्दाज से उस चीज को चलाते लेकिन आई० पी० एस० से आज सारा काश्मीर परेशान है कि उस को हम ने अपने यहां लागू क्यों किया। आई० ए० एस० से भी सारा काश्मीर परेशान है कि हम ने क्यों किया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को हम ने लागू किया। मैंने कहा कि साहब, आप कीजिए। एलेक्शन कमीशन से पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया की पब्लिकेशन्स डिवीजन की 1957 और 1962 की रिपोर्ट्स यहां मौजूद हैं, इन को आप पढ़िए और फिर देख लीजिए कि 1967 का एलेक्शन क्या हुआ जबकि तमाम पार्लियामेंट और मुल्क ने कहा कि ऐसा ऐलेक्शन हुआ जिस की कोई मिसाल सारी दुनिया में नहीं है, और मतालबा हुआ कि फ्रेश एलेक्शन करा दीजिए। अभी दो सीट्स का बाइ-एलेक्शन हुआ काश्मीर में। यहां से श्री सेनवर्मा खुद लेफ्ट राइट करते करते वहां पहुंच गए और कहा कि जो कुछ पहले खामियां हुई हैं मैं उन को दूर कर दूंगा। जब हम ने तमाम बातें सुनाईं और उन

16 HRS.

को डुप्लिकेट बैलट पेपर्स एक दिन पहले दिखाए तथा बतलाया कि यहां ऐसी ऐसी बातें होंगी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और मैं खुद रोजाना मौके पर रहूंगा और देखूंगा कि इस किस्म के वोट्स काउंट न किए जाएं। काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई

[गुलाम मुहम्मद बख्शी]

थी, एलेक्शन कमिश्नर साहब इन्तहाई तसल्ली देने के बाद वहां तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद काउंटिंग शुरू होने के पहले ही वहां से चले गए । मैं ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं तो उन्होंने फरमाया कि मैं गैस्ट हाउस तक जा रहा हूं । जब मैं ने फिर पूछा कि क्या आप वापिस आयेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि सर्टेनली वापिस आऊंगा । और तब तक काउंटिंग शुरू नहीं होगी लेकिन काउंटिंग शुरू हो गयी । यह मैं आप से अर्ज कर रहा हूं कि इसे आप को ठीक करने की जरूरत है । 27 बक्से रात को ट्रेजरी में डिपाजिट किए गए थे और काउंटिंग के वक्त 27 के बदले 38 बक्से सामने आ गए । अब यहां पर सवाल यह उठता है कि रात भर में यह 11 बक्से और उन में कहां से और कैसे आ गए ? यह रातोंरात 11 बक्से कैसे बढ़ गए ? अब जब मैं सेन वर्मा की तलाश करता हूं कि उन्हें यह माजरा बतलाऊं कि यह रातोंरात 27 के 38 हो गए, अब अगर वह 27 के बच्चे होते तो 27 के 27 बच्चे होने चाहिए थे, जब मैं सेन वर्मा को दरियाफ्त करता हूं कि वह इस गड़बड़ को देख लें तो मालूम होता है कि सेन वर्मा जोकिदर असले काश्मीर में ऐलेक्शन देखने के लिए गए थे वह काश्मीर में ठंडी हवा खा रहे थे और पहलगाम तशरीफ ले गए थे । वह साहब गए थे काश्मीर में एलैक्शन देखने के लिए लेकिन वह ठंडी हवा खाने पहलगाम पहुंच गए । वह रात को 11 बजे पहलगाम से वापिस आते हैं । हम ने वावैला किया, खत लिखा, उन के मकान पर भी गए लेकिन सब बेकार रहा और जवाब नदारद रहा ।

दूसरे दिन एक और बात हुई । हम ने वावैला किया और वावैला करने के बाद कहा कि सेन वर्मा साहब आए तो थे यहां एलैक्शंस को देखने और उस का सुपरविजन करने लेकिन लाइक ए गुड हिन्दू वह पहुंच गए खीरभवानी मन्दिर में दर्शन करने के लिए और उस दिन भी वह रात को 11 बजे वापिस आए । इस से तीन दिन पहले जब वह यहां तशरीफ लाए थे और उन से एक डैपुटेशन एलैक्शन की गड़बड़ियां की बाबत मिला था और शिकायत की थी तो उन्होंने कहा था कि वह सब तो ठीक है और मैं ने सब कुछ देख भी लिया है लेकिन इस में दिल्ली की प्रैस्टिज इन्वौल्व्ड है । यह मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि उन को मैंने कोट किया है । उन्होंने जो फरमाया कि **आई हैव सीन एवीथिंग बट दिल्ली प्रैस्टिज इज इन्वौल्व्ड,** यह चीज पेपर्स में आई है । अब मेरी समझ में नहीं आता कि फ्री० ऐंड फेयर एलैक्शन में दिल्ली की प्रैस्टिज कहा इन्वौल्व्ड थी ? हक़ीकत यह थी कि इन एलैक्शंस में प्लैबिसिट फ्रंट नहीं लड़ रहा था, पोलिटिकल कान्फ्रेंस नहीं लड़ रही थी, खाली स्वतन्त्र वाले, नेशनल कान्फ्रेंस वाले और वह कांग्रेस वाले ही एलैक्शनस लड़ रहे थे । उस में भी हालत यह बनी कि 27 के स्थान पर रातोंरात वह बक्से बढ़ कर 38 हो गए । वोटों के बारे में बहुत ही गड़बड़ी की गई । आज इस बात की बहुत जरूरत है कि काश्मीरियों के जहन से यह चीज निकाल दी जाए कि जो कुछ वहां होता है वह दिल्ली के ईमां पर होता है जो कुछ वहां होता है वह दिल्ली के इशारे पर होता है । अब वह होता है या नहीं होता है उस में मैं इस मौके पर नहीं जाना चाहता बाक़ी मुझे अब भी शक है । मैंने श्री चव्हाण को लिखा कि साहब एलैक्शन से पहले मारधाड़ शुरू हो गयी, फैक्टस इन को बतला दिए और शाम तक उन्हें मैं ने दे दिए, उस के बारे में मैं ने ख़त लिखा लेकिन आज तक उस ख़त का जवाब मुझे नहीं मिला है । अलबत्ता चव्हाण साहब का जवाब यह जरूर आया है कि उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर को लिखा है और वहां पर फ्री एंड फेयर एलैक्शन होंगे लेकिन जैसे फ्री ऐंड फेयर एलैक्शन काश्मीर में हुए वह किसी से छिपे नहीं हैं और मुझे अब उस में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है । इस मौके पर मैं इस हाउस के सामने केवल एक ही चीज और वह एलैक्शंस के रिजैक्शंस के सिलसिले में

है। मैं जस्टिस अन्त सिंह के दिए हुए जजमेंट में से एक हिस्सा हाउस को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

Mr. Justice Anant Singh, a High Court Judge says:

Before parting with the case I must observe that both Mr. Kumar and Mr. Safaya, have abused their office as responsible Public Officers. They appear to have entered into a conspiracy to have brought about most wrongly the rejection of the nomination papers of all these three candidates, obviously to facilitate an uncontested return of Mr. Rajpori to the Assembly. In order to carry out their sinister and evil design they have freely indulged in fabricating and tampering the evidence without any fear of subjecting themselves to the charge of even committing or and having forgeries committed. Mr. Kumar has by his own hands committed forgery by making interpolation at least in his order Ex. PW.6/1 apart from fabricating other evidence to which Mr. Safaya also contributed by abetting or even by acting as principal in scoring out the various lines in the endorsements X-2, X-3, and Xa, although he did so under the directions of Mr. Kumar. This Mr. Kumar is one of the I.A.S. officers whom you have sent from here to Kashmir.

SHRI Y. B. CHAVAN: Action has been taken against him.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी: जज ने अपने जजमेंट में साफ तौर से आई० ए० एस० आफिसर श्री कुमार के कंडक्ट को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि उन्होंने फौजदारी कमिट की है।

इसी तरह में आप को बतलाऊं कि मुहम्मद अमीन कस्टोडियन जनरल जोकि एक कौंस्पिरेसी के स में 9 साल माखूज रहा है, गह नहीं कि केस उन के खिलाफ साबित नहीं हुआ। केस उन पर चला और केस लोअर कोर्ट में प्राइमा फेसी साबित हुआ और उस के बाद केस विद्ड्रा हुआ। गवर्नमेंट ने विद्ड्रा किया। लेकिन आप ने अभी अक्तूबर 1968, में आई० ए० एस० की लिस्ट में सब से पहले टाप पर उस का नाम रक्खा। इसी तरह से हमीदुल्लाखां और शर्मा वगैरह की बात है। इस लिस्ट में जो सीनियर आफिसर्ज हैं जिनकी कि तादाद 98 और दूसरे की तादाद 100 थी, 198 में से आप ने यह चुने। उन की उस लिस्ट में जोकि खुद काश्मीर गवर्नमेंट ने दी है, उन का दर्जा कहीं 100 है, कहीं 120 है, कहीं 130 है तो कहीं पर 140 है। उस में आप ने उन को चुना है और यह हमीदुल्ला खां और शर्मा को चुना है जोकि खुशकिस्मती से कहिए या बदकिस्मती से कहिए केवल मैट्रिकुलेट थे उस से ज्यादा उन की एकैडेमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी। मैं और ज्यादा न कहते हुए सिर्फ यही दर्ज करना चाहूंगा कि खुदा के लिए आप इन चीजों को ठीक कीजिए और जो वहां पर गड़बड़ियां हुई हैं और अभी भी जारी हैं उन्हें आप खत्म कीजिए।

हमारे वाजपेयी जी ने वहां पर हुई कई गिरफ्तारियों का जिक्र किया और बतलाया कि उन्हें बिल्कुल गलत तौर पर पकड़ा गया, तो वह तो गेहूं के साथ घुन पिसता है और वह वहां हुआ होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो तादाद वहां पुलिस, फौज, होमगार्ड्स और वारडर सिक्योरिटी फोर्स की तैनात है, वह तादाद में यहां पर देना नहीं चाहूंगा क्योंकि वैसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन सब के वहां पर मौजूद रहने के बावजूद आज भी हमारे वार्डर्स अनसेफ हैं। वहां एक माकूल फिजा पैदा कीजिए, एक माहौल वहां पैदा कीजिए और लोगों को अपने ज्यादा करीब लाइए। वह यह नहीं देखते हैं कि कुमार साहब ने वहां पर यह गलती और फोर्जरी को बल्कि वह इस को इस तरह से देखते हैं कि यह कुमार साहब दिल्ली से भेजे गए आई० ए० एस० आफिसर हैं और उन्होंने कश्मीर में यह यह गड़बड़ी की है या फलां फलां सेंटर से भेजे गए आई० पी० एस०

[गुलाम मुहम्मद बख्शी]

आफिसर ने यह यह गड़बड़ की है और कश्मीरी जनता दिल्ली की सरकार को इन सब चीजों के वास्ते जिम्मेदार ठहराती है।

श्री वाजपेयी ने जो यह जानना चाहा है कि सन् 47 से लेकर आज तक जो रुपया वहां के लिए दिया गया वह कहां गया। कैसे वह खर्च हुआ, इस की जांच होनी चाहिए तो मैं उन के साथ इस बारे में सहमत हूं। मैं ने बजट सैशन में भी इस चीज को कहा था कि इस के लिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए जोकि इस को देखे कि वह 150 करोड़ रुपया कहां गया और वह किस तरह खर्च किया गया.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बख्शी साहब मुझे माफ़ करें। 150 करोड़ तो कर्जा है और बाकी ग्रांट्स वगैरह मिला कर वह कोई 300 करोड़ रुपए के करीब जाकर बैठता है।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : बहरहाल मैं मुसलमान हूं और जैसा कि वह फरमा रहे हैं कि डेढ़ सौ करोड़ तीन सौ करोड़ हो गए लेकिन हिसाब के मुताबिक ग्रांट्स, लौन्स और बाकी सभी चीजों को मिला कर जो बनता है वह 150 करोड़ है। अगर आप चाहें तो मेरे पास फिगर्स हैं। (**व्यवधान**) जो फाइनेन्स मिनिस्टर ने दिए हैं। उन के मुताबिक यह आता है :

Total loans and grants—जो 1947 से आज तक दिए गए हैं।—i.e., from year to year—150 crores. बहरहाल मैं कंट्रोवर्सी नहीं उठाना चाहता। मैं तो यह अर्ज कर रहा हूं कि एक हवा पैदा कीजिए, एक फिजा पैदा कीजिए। आप को आई० ए० एस० आफिसर लेना है, मेडिकल कालेज में कहते हैं कि दाखिला बाई मेरिट्स होगा, शिअर मेरिट्स। लेकिन जिन के 310 मार्क्स हैं उन को छोड़ दिया गया है और जिन के 232 मार्क्स हैं उन को लिया गया है। 232 तो दरकिना, गोआ मेडिकल कालेज के स्टूडेन्ट्स को दाखिला दिलाया, ब्वायेज एंड गर्ल्सको, जिन के 230 से भी कम मार्क्स हैं। यह चीजें वहां सामने आ जाती हैं। आप ने बच्चों को वहां पढ़ाया, तालीम आम कर दी, मुफ्त कर दी, इंजीनियरिंग कालेज खोला, मेडिकल कालेज खोला, आयुर्वेदिक कालेज खोला, यूनानी कालेज खोला। इन इदारों को चलते हुए दस साल हो गए। हजारों लड़के निकले हैं जिन्होंने तालीम पाई है, उन में से हजारों ऐसे हैं जो कि बेकार हैं।

मैं श्री वाजपेयी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि मुसलिम माइन्ड पाकिस्तान की तरफ जाता है, कि हर्गिज नहीं जाता। अगर मुसलिम माइन्ड पाकिस्तान की तरफ जाता, तो तमाम ऐडमिनिस्ट्रेशन मेरे खिलाफ था, मैं अकेले तने-उनहा पार्लियामेंट के लिए खड़ा हुआ, मुझे वोट किस ने दिया? वहां के मुसलमानों ने, वहां की जनता ने। उन्हें मालूम है कि मेरा स्टैन्ड क्या है क्या नहीं है। असल में वहां जो प्राब्लेम है वह है बेकारी की, वहां की प्राब्लेम है क्लाइमेटिक कंडिशन्स की, एक्तपादी, गुड गवर्नमेंट की, क्लीन गवर्नमेंट की, जो आज तक नहीं मिली। आज दी जाए। आप अपनी लिस्टों को देख लीजिए। श्री वाजपेयी ने भी कहा और मैं भी कहता हूं। अगर आप नाम सुनना चाहते हैं तो मैं एक एक नाम पढ़ कर सुनाऊंगा और लिस्ट को मेज पर रख्खूंगा। 298 में से 26 आदमी जो आप ने चुने वह किस क्राइटेरियन से? उन की खिदमात क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सीनिआरिटी क्या है, तालीम क्या है? एक ने तीन आदमियों को रिजैक्ट किया था, उस को प्रमोशन दिया, दूसरे ने 2 आदमियों को रिजैक्ट किया था, उस को प्रमोशन दिया, तीसरे ने 4 आदमियों को रिजैक्ट किया था, उस को प्रमोशन दिया। सिर्फ रिजैक्शन ही क्राइटेरियन रहा है। आप जरा इन चीजों को देख लीजिए।

आज आप एक माहौल पैदा कीजिए। काश्मीर हिन्दुस्तान का ऐसा ही अंग है जैसे हिन्दुस्तान का कोई और प्रान्त। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या पंजाब हो यह नाज न करें

कि काश्मीर कोई अलग चीज है। जब तमाम दुनिया में टू नेशन थयोरी की चर्चा चली, जब आप और आप की माइटी जमात जिन्ना के सामने झुकी, उस वक्त काश्मीर और नेशनल कांफ्रेंस जिन्ना के सामने नहीं झुकी, उन की टू नेशन थ्योरी के सामने नहीं झुकी। 1947 में दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो काश्मीर को हिन्दुस्तान के खिलाफ बर्गला सकती। हिन्दुस्तान में कौन आए ? काश्मीरी आए। काश्मीर की आंखें पाकिस्तान की तरफ नहीं थीं क्योंकि वहां मुसलिम मैजारिटी में थे, बल्कि वह देखते थे कि हिन्दुस्तान की तरफ क्योंकि सेकुलरिजम उन की बुनियाद थी। उनकी बुनियाद थी नैशनलिज्म, डिमाक्रेसी और सोशलिज्म। वह जानते थे कि अगर वह पनप सकते हैं तो हिन्दुस्तान के अन्दर, हिन्दुस्तान के बाहर नहीं। लिहाजा वह हिन्दुस्तान में आए और अपने जवान कटवाए।

आप ने जवानों और अपनी आर्म्ड फोर्सेज का तजकिरा किया। मैं उन की कद्रे मंजिलत जानता हूं। उन्होंने जो खून दिया, जो कुर्बानी दी उस को जानता हूं। वह लद्दाख में मरे, कारगिल में मरे, जोजीला में मरे, उड़ी में मरे, छम्ब में मरे। हर काश्मीरी के दिल में उन के लिए इज्जत है। जब भी मौका होता है, हम उन को याद करते हैं। इस में हम किसी से पीछे नहीं हैं। आखिर वह हमारे हैं, हम उन के हैं। उन्होंने हमारी इज्जत बचाई है, हमारी जान बचाई है। हमारी ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान की। हम इसी कद्र और कीमत की निगाह से उन को देख रहे हैं।

अब सवाल है इमोशनल और क्लोजर इंटेग्रेशन का। वह कैसे आए ? मैं काश्मीर के हालात आप के सामने रखता हूं। आप का मामला सिक्योरिटी कौंसिल में पड़ा हुआ है। आप उस को वहां से विद्ड्रा क्यों नहीं कर लेते ? नेशनल फील्ड में हम कहां हैं, इंटर-नेशनल फील्ड में हम कहां हैं ? मैं अर्ज करूंगा कि वहां कि आर्गेनाइजेशन्स और वहां के लोगों के हाथ मजबूत करने के लिए जरूरी है कि दफा 370 इन इट्स प्रेजेन्ट फार्म जारी रहे, नहीं तो मैं उन सबकांशस माइन्ड को जानता हूं। उन के सब-कांशस माइन्डस में यह है कि हम से कुछ छीना जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है स्टेट में जिस की हमारे यहां कमी है। प्रेजीडेंट की पावर्स वहां पर लागू है, एलेक्शन कमीशन वहां मौजूद है, उस की फंक्शनिंग ठीक कर लीजिये। आई ए एस और आई पी एस वहां मौजूद हैं। बाकी तमाम चीजें वहां मौजूद हैं। आखिर कमी किस चीज की है ? आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें होती जाती हैं। यहां पर चागला की बात कही गई। श्री चागला की तकरीर हमारे सामने है। सवाल है इमोशनल इंटेग्रेशन बढ़ाने का। वहां इस किस्म की फिजा और इस किस्म का माहोल पैदा कीजिये ताकि वहां के लोगों के सब-कांशस माइन्ड में जो यह खतरा रहता है कि जो भी बुराई वहां हुई है चाहे वह बख्शी के जमाने में हुई हो, चाहे अब्दुल्ला के जमाने में हुई हो चाहे सादिक के जमाने में हुई हो, वह दिल्ली कराता है; वह दूर हो जाये।

इन चन्द अल्फाज के साथ में अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

شری غلام محمد بخشی (سری نگر) : جناب صدر - میں نے واجپئی جی کی تقریر بہت غور سے سنی - انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہیں جن کے ساتھ مجھے ذاتی طور پر اتفاق ہے - انہوں نے کہا ایک زمانہ تھا بخشی صاحب بھی کہتے تھے کہ دفعہ ۳۷۰ کو ہٹا دیا جائے - لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ کو غلط سمجھا ہے - میں نے ہمیشہ آرٹیکل ۳۷۰ کی حمایت

دوسری بات ٹرائی کلر کی بابت کہی - ٹرائی کلر کی اتنی ہی عزت جموں کشمیر میں ہے - جتنی کہیں اور ہے - ٹرائی کلر کے نیچے وہاں قربانیاں دی گئی ہیں - لوگ مرے ہیں ٹرائی کلر کو اونچا رکھنے کے لئے - اور اس کو وہ اور اونچا رکھنا چاہتے ہیں - جموں کشمیر کے انسان ٹرائی کلر پر اپنی جان تک دے سکتے ہیں - لیکن اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے - یہی انہوں نے آج تک کیا ہے اور آگے بھی کریں گے -

اب جہاں تک آرٹیکل ۳۷۰ کا سوال ہے آپ نے کہا کہ یہ ٹیمپوریری ہے - ٹرانزیشنل ہے - اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو ہیڈنگ یہی ہے لیکن یہ بات صرف آرٹیکل ۳۷۰ تک ہی نہیں ہے بلکہ ۳۷۰ سے لے کر ۳۹۵ تک ہے - جب آپ ۳۷۰ کی بات کر رہے ہیں تو پھر جن جن آرٹیکلز کا تعلق جموں کشمیر کے ساتھ ہے ۳۰۷—۳۶۸—۳۹۴—۳۹۵— ان سبھی کو زیر غور رکھنا ہوگا - اور تبھی واضع بات ہمارے سامنے آئے گی - آپ نے کہا کہ یہ آیا کیسے ہے - جموں کشمیر ہے کیا - وہاں کے لئے جو الگ آرٹیکل ہے اسے ہٹایا جائے - ایبروگیٹ کیا جائے - آپ ایبروگیٹ کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے کانسٹیٹیوشن

[شری غلام محمد بخشی]

کی ہے - تب بھی اور آج بھی - اس کے خاص وجوہات ہیں - (انٹرپشنز) میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آرٹیکل ۳۷۰ کے باوجود کشمیر - ہندوستان کا ایک حصہ دوسرے کے قریب زیادہ سے زیادہ آ جائے - جس کو کہ ہم کہتے ہیں کلوزر انٹیگریشن - ہر لحاظ سے اور خاص طور پر اموشنل انٹیگریشن جس کا میں بے حد قائل ہوں - جس کے لئے میں نے کام کیا ہے اور آگے بھی کرتا رہوں گا -

واجپائی جی نے فرمایا کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو کشمیر میں جائداد یا زمین خریدنے کا حق نہیں ہے - میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے - پریزیڈنٹ آف انڈیا کے نام پر وہاں ایک نہیں بلکہ بیسیوں جائدادیں اس وقت موجود ہیں - ڈاک خانہ - تار گھر - ریسٹ ہاؤس - گیسٹ ہاوس وغیرہ - لہذا یہ جو انفرمیشن تھی اس کے شائد غلط معنے نکالے جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی نہیں خرید سکتا ہے - (انٹرپشنز)...

کرائے پر نہیں بلکہ ملکیت -

ایک مانیہ سدسیہ - ذاتی ملکیت - شری غلام محمد بخشی - پریزیڈنٹ آف انڈیا کی ملکیت - ذاتی ہوتی ہے یا ویسی - یہ تو کرپلانی جی بتلائیں گے - تو بہ حیثیت پریزیڈنٹ آف انڈیا وہاں پر یہ تمام زمینیں ہیں - (انٹرپشنز)...

نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے - اس وجہ سے نہیں کہ ہم کمزور ہیں - ہم نے ایک نہیں بیسیوں بار پاکستان کا مقابلہ کیا اور بیسیوں بار مقابلہ کرنا پڑیگا - میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ریاست کے رہنے والوں کا جہاں تک تعلق ہے اس میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے - آگے یقیناً بڑھیں گے - لیکن پاکستان کا پراپیگنڈا پاکستان کی وہ تمام مشین اور پاکستان کی تمام باتیں جو اس زمانے میں ۱۹۴۷ سے پہلے کہی جاتی تھیں اس سے زیادہ زوروں سے آج دوھرائی جاتی ہیں - تو اس وقت ہم یہ کہتے وہ ہمیشہ صبح سے شام تک ریڈیو پر چوبیس گھنٹے میں سے بارہ گھنٹے کشمیر پر خرچ کرتے ہیں کہ تم کو کہا جائیں گے تم کو کہا جائیں گے اور ہم دوسری طرف اٹھتے ہیں - یہ کہتے ہیں کہ تم نے قلات کو ختم کیا - بہاول پور کو ختم کیا - تم نے سندھ کو ختم کیا - نارتھ ویسٹ فرنٹیر کو ختم کیا اور تمام سب کو ملا کر ان کی اینٹٹی کو ختم کر کے ان کو ویسٹ پاکستان بنا دیا - لیکن جہاں تک بھارت کا تعلق ہے - جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے - ریاست کو انہوں نے ایک جگہ دی ہے - ایک ایسی جگہ دی ہے

although I know and you know what is in Art. 370.

۳۷۰ کا اصلی مقصد کیا ہے وہ بھی کو - جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے -

"The State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India."

یہ ہے جموں کشمیر کا کانسٹیٹیوشن -

"The territory of the State shall comprise of all the territories which on the fifteenth day of August, 1947 were under the severeignty or suzerainty of the ruler of the state"

اگر آپ اپنے آئین کو دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں صاف نہیں کی گئی ہیں - بلکہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہے - بلکہ جو ہے وہ ہم کو زیادہ قریب لاتی ہے اور زیادہ مضبوطی دیتی ہے - باقی اور جو باتیں آپ نے اٹھائیں در اصل مسئلہ کیا ہے - یہ ۳۷۰ نہیں ہر ایک شخص کی یہاں خواہش ہے - واجپائی جی کی بھی ہے اور ۳۷۰ آج تک برابر ڈسکس ہوا اور ۳۷۰ کے متعلق گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ یہی آیا کہ کانسٹی ٹیونٹ اسمبلی نے جن باتوں کو سامنے رکھ کر ۳۷۰ کو وجود میں لایا اس میں محض ایک پارٹی نہیں تھی اس میں تمام کی تمام پارٹیاں اس وقت بیٹھی تھیں اور بہت بڑے بڑے ہندوستان کے لیڈر بیٹھے تھے - انہوں نے واقعات اور حالات کا جائزہ لے کر اس آرٹیکل کو صورت دی تھی اور صورت دی تھی پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے - اور پاکستان کا وجود کشمیر کے تعلق میں ختم

ڈاکٹر شیام پرشاد مکر جی نے جان دی میں نہیں جانتا - آج صورت کیا ہے - وہ یہ ہے کہ جن کا تزکرہ ماننیہ واجپائی جی نے اپنی تقریر میں کیا ایمانداری سے میں یہ کہہ سکتا ہوں اس میں سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا آپ دس سال تک وہاں تھے - میں نے کہا غلطیاں ہوئی ہوں گی - ان پر نظر نہ ڈالو - لیکن جو ضروری ہے کرنا وہ آج کرو - یہ کہنا کہ شیخ نے کیا کیا - بخشی نے کیا کیا یا صادق کیا کر رہا ہے اس سے کوئی فائدے مند بات سامنے آئے گی - اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا انٹیگریشن ہو ہر لحاظ سے - اموشنل اینڈ ادر وائز - اس کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا وہ سٹیپس لے جو لازم ہیں - جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں آج تک بیس سال گزرنے کے باوجود ایک بھی سنٹرل پراجیکٹ نہیں کھلا کہ جس کی دیکھ بھال آپ کرتے - وہاں اس وقت آپ کا سروے-آپ کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ مانتا ہے کہ پانچ ملیں کلوواٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے - اور دریا چناب کا سروے ہو چکا ہے - سب کچھ ہو چکا ہے - وہ آپ کی پاور شارٹیج تمام ناردرن انڈیا کی انکلیوڈنگ راجستھان پلس ویسٹرن یو - پی - اس کو دور کر سکتا ہے - لیکن کچھ نہیں ہوا - اب ایک زمانے سے سنتے ہیں کہ ٹیلیفون انٹسٹری وہاں لگے گی - پتہ نہیں کب تک لگے

[شری غلام محمد بخشی]

میں عرض کرونگا - لیکن ان کو جواب دینے کے لئے میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو کشمیر کے ساتھیوں کے - جموں کے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے - تاکہ وہ ان کا ایفیکٹو جواب دیں - اس وقت وہ خاموش ہو جاتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا قلات کیا ہوا - بہاول پور کا کیا ہوا - سندھ کہاں ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیر کہاں ہے لیکن کشمیر ہندوستان میں جانے کے باوجود ۱۹۴۷ میں جو پوزیشن اختیار کی تھی وہی آج بھی قائم ہے - بیس سال گزرنے کے باوجود ہندوستان گریب نہیں کرنا چاہتا بلکہ ہم اپنی خوشی سے ہندوستان کا حصہ ہیں اور رہیں گے -

میں آپ سے پرارتھنا کرونگا کہ اس کے پیچھے ایک نسیسیٹی ہے جس کو پنڈت جواہر لال نہرو، گوپالا سوامی آینگار اور سورگ باسی شیام پرشاد مکر جی - ڈاکٹر امبیدکر - اس قسم کے لوگ - مولانا ابوالکلام آزاد - رفیع احمد قدوائی - سوچنے سمجھنے والے انسان تھے اور وہ سمجھتے تھے - آج بھی وہی پوزیشن ہے -

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने अपनी जान दी वहां पर ।

شری غلام محمد بخشی - میں کانسٹی ٹیونٹ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں -

اگر وہ نیچرل کلیمیٹیز سے بچا تب وہ ٦ مہینے کہا جائے گا - لیکن ویسے وہ پریشان رہتا ہے - کشمیر آج وہ نہیں ہے جو ١٩٤٧ میں تھا - اس میں کوئی شک نہیں - لیکن اس ڈائریکشن میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے -

دوسری بات کلوزر انٹیگریشن شروع میں نے کرایا تھا - فائنینشیل انٹیگریشن ایلیکشن کمیشن پرمٹ ہٹاؤ کا سلسلہ چلایا - آئی - اے - آئی - بی - ایس - کے بارے میں ایمانداری سے میں آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے کہونگا کہ یہاں جناب لینے کے دینے پڑ گئے - اگر ہم اپنی جگہ ہوتے تو شاید اپنے انداز سے اس چیز کو چلاتے - لیکن آئی - پی ایس - سے آج سارا کشمیر پریشان ہے کہ اس کو ہم نے اپنے یہاں کیوں لاگو کیا - آئی - اے - ایس - سے بھی سارا کشمیر پریشان ہے کہ ہم نے کیوں کیا - اس طرح ایلیکشن کمیشن ہم نے لاگو کرایا - میں نے کہا کہ صاحب آپ کیجئے - ایلیکشن کمیشن سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا کی پبلیکیشنز ڈیویزن کی ١٩٥٧ اور ١٩٦٢ کی رپورٹس یہاں موجود ہیں ان کو آپ پڑھئیے اور پھر دیکھ لیجئے کہ ١٩٦٧ کا ایلیکشن کیا ہوا جب کہ تمام پارلیمنٹ اور گی - تو پھر صورت یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ اس طرف ہم جاتے لیکن اس طرف نہیں گئے - اصل میں ہم ہندوستان اور مرکزی سرکار کے بے حد مشکور ہیں کہ جیسے اور سٹیٹس کو قرضے دئے گئے - لونز دئے گئے - ایڈوانسس دئے گئے - مدد دی گئی جموں کشمیر کو بھی ١٩٤٧ سے لے کر آج تک ١٥٠ کروڑ روپیہ بطور قرض کے دیا اور ١٥٠ میں کچھ پرنسیپل کی طرف بھی ادائیگی ہوئی ہے اور کچھ انٹرسٹ بھی ادا ہوا ہے - اور جتنا ہونا چاہئے تھا اتنا نہیں ہوا ہے - مجھے معلوم نہیں ہے کہ اور سٹیٹس کا کیا حال ہے - لیکن یہ ٣٠٠ کروڑ نہیں ١٥٠ کروڑ ہے اور اس میں دونوں طرف ادائگیاں ہوئی ہیں - یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کشمیر کو اگر آپ کو اٹھانا ہے - کشمیر کی پروورییل غربت کو ان کی ڈیفیکلٹیز کو دور کرنا ہے تو ہم کو سوچنا پڑیگا بلا امتیاز اس کے کہ یہ جن سنگھ ہے - کانگریس ہے - انڈیپنڈنٹ ہے - ایس-ایس-پی - ہے یا کہ پی - ایس - پی - ہے - یہ آپ کا نیشنل کویشچن ہے - میں عرض کرونگا کہ اس میں نیشنل اپروچ ہونا چاہئے - کیا کریں -

آج کشمیری پریشان ہے کلائمیٹیکلی ٦ مہینے وہ کماتا ہے اور ١٢ مہینے کے اس کے اخراجات ہیں- اس پر

کاؤنٹنگ شروع نہیں ہوگی لیکن کاؤنٹنگ شروع ہو گئی - یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے - ۲۷ بکسے رات کو ٹریزری میں ڈپازٹ کئے گئے تھے اور کاؤنٹنگ کے وقت ۲۷ کے بدلے ۳۸ بکسے سامنے آ گئے - اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ رات بھر میں یہ ۱۱ بکسے اور ان میں کہاں سے اور کیسے آ گئے - یہ راتوں رات ۱۱ بکسے کیسے بڑھ گئے - جب میں سین ورما کی تلاش کرتا ہوں کہ انہیں یہ ماجرا بتلا دوں کہ یہ راتوں رات ۲۷ کے ۳۸ ہو گئے - اب اگر وہ ۲۷ کے بچے ہوتے تو ۲۷ کے ۲۷ بچے ہونے چاہئیں تھے - جب میں سین ورما کو دریافت کرتا ہوں کہ وہ اس گڑبڑ کو دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سین ورما جو کہ در اصل کشمیر میں الیکشن دیکھنے کے لئے گئے تھے وہ کشمیر میں ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے اور پہلگام تشریف لے گئے تھے - وہ صاحب گئے تھے کشمیر میں الیکشن دیکھنے کے لئے لیکن وہ ٹھنڈی ہوا کھانے پہلگام پہنچ گئے - رات کو وہ ۱۱ بجے پہلگام سے واپس آتے ہیں - ہم نے واویلا کیا خط لکھا ان کے مکان پر بھی گئے لیکن سب بیکار رہا اور جواب ندارد رہا -

دوسرے دن ایک اور بات ہوئی - ہم نے واویلا کیا اور واویلا کرنے

[شری غلام محمد بخشی]

ملک نے کہا کہ ایسا ایلیگیشن ہو جس کی کوئی مثال ساری دنیا میں نہ ہو - لیکن کیا ہوا - ہم سب جانتے ہیں اور مطالبہ ہوا کہ فریش ایلیکشن کرا دیجئے - ابھی دو سیٹس کا بائی ایلیکشن ہوا کشمیر میں - یہاں سے شری سین ورما خود لیفٹ رائٹ کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ جو کچھ پہلے خامیاں ہوئی ہیں میں ان کو دور کر دونگا - جب ہم نے تمام باتیں سنائیں اور ان کو ڈوپلیکیٹ بیلٹ پیپرز ایک دن پہلے دکھائے تھا بتایا کہ یہاں ایسی ایسی باتیں ہونگی تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دونگا اور میں خود روزانہ موقع پر رہوں گا - اور دیکھوں گا کہ اس قسم کے ووٹس کاؤنٹ نہ کئے جائیں - کاؤنٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی - ایلیکشن کمشنر صاحب انتہائی تسلی دینے کے بعد وہاں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے -میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں گسٹ ہاؤس تک جا رہا ہوں - جب میں نے پھر پوچھا کہ کیا آپ واپس آئینگے تو انہوں نے جواب دیا کہ سرٹینلی واپس آؤنگا اور جب تک میں نہیں آؤنگا تب تک

کشمیریوں کے ذھن سے یہ چیز نکال دی جائے کہ جو کچھ وھاں ھوتا ھے وہ دلی کے ایما پر ھوتا ھے جو کچھ وھاں ھوتا ھے وہ دلی کے اشارے پر ھوتا ھے - اب وہ ھوتا ھے یا نہیں ھوتا ھے اس میں میں اس موقعہ پر نہیں جانا چاھتا- باقی مجھے اب بھی شک ھے - میں نے شری چوھان کو لکھا کہ صاحب الیکشنس سے پہلے مار دھاڑ شروع ھو گئی - فیکٹس ان کو بتلا دئے اور نام تک انہیں میں نے دے دئے - اس کے بارے میں میں نے خط بھی لکھا لیکن آج تک اس خط کا جواب مجھے نہیں ملا ھے البتہ چوھان صاحب کا جواب یہ ضرور آیا ھے کہ انہوں نے چیف منسٹر کو لکھا ھے اور وھاں پر فری اینڈ فیر الیکشنس ھونگے لیکن جیسے فری اینڈ فیر الیکشن کشمیر میں ھوئے وہ کسی سے چھپے نہیں ھیں اور مجھے اب اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ھے - اس موقعہ پر میں اس ھاؤس کے سامنے کیول ایک ھی چیز رکھ رھا ھوں اور وہ الیکشنس کے ریجیکشنس کے سلسلے میں ھے - میں جسٹس اننت سنگھ کے دئے ھوئے ججمنٹ میں سے ایک حصہ ھاؤس کو پڑھ کر سنانا چاھتا ھوں -

"Before parting with the case I must observe that both Mr. Kumar and Mr. Safaya, have abused their office as responsible Public Officers. They appear to have entered into a conspiracy to have brought about

کے بعد کہا کہ سین ورما صاحب آئے تو تھے یہاں الیکشنس کو دیکھنے اور اس کا سپرویزن کرنے لیکن لائک اے گڈ ھندو وہ پہنچ گئے کھیر بھوانی مندر میں درشن کرنے کے لئے اور اس دن بھی وہ رات کو ۱۱ بجے واپس آئے - اس سے تین دن پہلے جب وہ یہاں تشریف لائے تھے اور ان سے ڈپوٹیشن الیکشنس کی گڑبڑیوں کی بابت ملا تھا اور شکایت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سب تو ٹھیک ھے اور میں نے سب کچھ دیکھ بھی لیا ھے لیکن اس میں دلی کی پرسٹج انوالوڈ ھے - یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رھا ھوں بلکہ ان کو میں نے کوڈ کیا ھے- انہوں نے جو فرمایا ھے کہ ''آئی ھیو سین ایوری تھنگ ہٹ دلی پرسٹج از انوالوڈ،،- یہ چیز پیپرس میں آئی ھے- اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فری اینڈ فیر الیکشن میں دلی کی پرسٹج کہاں انوالوڈ تھی - حقیقت یہ تھی کہ ان الیکشنس میں پلیبسٹ فرنٹ نہیں لڑ رھا تھا - پولیٹیکل کانفرینس نہیں لڑ رھی تھی خالی سوتنتر والے - نیشنل کانفرینس والے اور وہ کانگرس والے ھی الیکشنس لڑ رھے تھے - اس میں بھی حالت یہ بنی کہ ۲۷ کے استھان پر راتوں رات وہ بکسے بڑھ کر ۳۸ ھو گئے - ووٹوں کے بارے میں بہت ھی گڑبڑی کی گئی - آج اس بات کی بہت ضرورت ھے کہ

[شری غلام محمد بخشی]

most wrongly the rejection of the nomination papers of all these three candidates, obviously to facilitate an uncontested return of Mr. Rajpori to the Assembly. In order to carry out their sinister and evil design they have freely indulged in fabricating and tampering the evidence without any fear of subjecting themselves to the charge of even committing or and having forgeries committed. Mr. Kumar has by his own hands committed forgery by making interpolation at least in his order Ex. PW.6/1 apart from fabricating other evidence to which Mr. Safaya also contributed by abetting or even by acting as principal in scoring out the various lines in the endorsements X-2, X-3, and Xa, although he did so under the directions of Mr. Kumar."

This Mr. Kumar is one of the I.A.S. officers whom you have sent from here to Kashmir.

SHRI Y. B. CHAVAN : Action has been taken against him.

شری غلام محمد بخشی : جج نے اپنے ججمنٹ میں صاف طور سے آئی - اے - ایس - آفیسر شری کمار کے کنڈکٹ کو کریٹیسائز کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے فورجری کمٹ کی ہے -

اسی طرح میں آپ کو بتلاؤں کہ محمد امین کسٹوڈین جنرل جو کہ ایک کونسپریسی کیس میں ۹ سال ماخوذ رہا ہے - یہ نہیں کہ کیس اس کے خلاف ثابت نہیں ہوا - کیس ان پر چلا اور کیس لوؤر کورٹ میں پرائما فیسی ثابت ہوا اور اس کے بعد کیس ویدڈرا ہوا - گورنمنٹ نے ودڈرا کیا - لیکن آپ نے ابھی اکتوبر ۱۹۶۸ میں آئی - اے - ایس - کی لسٹ میں سب سے پہلے ٹوپ پر اس کا نام رکھا - اسی طرح سے حمید اللہ خان اور شرما وغیرہ کی بات ہے - اس لسٹ میں جو سینئر موسٹ آفیسرس ہیں جن کی کہ تعداد ۹۸ اور دوسرے کی تعداد ۱۰۰ تھی - ۱۹۸ میں سے آپ نے یہ چنے - ان کی اس لسٹ میں جو کہ خود کشمیر گورنمنٹ نے دی ہے ان کا درجہ کہیں ۱۰۰ ہے کہیں ۱۲۰ ہے کہیں ۱۳۰ ہے تو کہیں پر ۱۴۰ ہے - اس میں آپ نے ان کو چنا ہے اور یہ حمید اللہ خان اور شرما کو چنا ہے جو کہ خوش قسمتی سے کہئے یا بد قسمتی سے کہئے کیول میٹری کولیٹ تھے اس سے زیادہ ان کی اکیڈیمک کوالیفکیشن نہیں تھی -

میں اس وقت اور زیادہ نہ کہتے ہوئے صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لئے آپ ان چیزوں کو ٹھیک کیجئے اور جو وہاں پر گڑبڑیاں ہوئی ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں انہیں آپ ختم کیجئے - ہمارے واجپئی جی نے وہاں پر ہوئی کئی گرفتاریوں کا ذکر کیا اور بتلایا کہ انہیں بالکل غلط طور پر پکڑا گیا تو وہ تو گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے اور وہ وہاں ہوا ہوگا - لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو تعداد وہاں پولیس، فوج، ہوم گارڈس اور بارڈر سیکیورٹی فورس کی طینات کی ہے وہ تعداد میں یہاں پر دینا نہیں

کروڑ تو قرضہ ہے اور باقی گرانٹس وغیرہ ملا کر وہ کوئی ۳۰۰ کروڑ روپیے کے قریب جا کر بیٹھتا ہے -

شری غلام محمد بخشی : بہر حال میں مسلمان ہوں اور جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ڈیڑھ سو کروڑ تین سو کروڑ ہو گئے لیکن حساب کے مطابق گرانٹس - لونس اور باقی سبھی چیزوں کو ملا کر جو بنتا ہے وہ ۱۵۰ کروڑ ہے - اگر آپ چاہیں تو میرے پاس فگرس ہیں ... (ویودھان) ... جو فائنینس منسٹر نے دئے ہیں - ان کے مطابق یہ آتا ہے -

Total loans and grants
جو ۱۹۴۷ سے آج تک دئے گئے ہیں -
i.e. from year to year 150 crores.

بہر حال میں کنٹرو ورسی نہیں اٹھانا چاہتا - میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوا پیدا کیجئے - ایک فضا پیدا کیجئے - آپ کو آئی - اے - ایس - افسر لینا ہے - میڈیکل کالج میں کہتے ہیں کہ داخلہ بائی میریٹس ہوگا - شیئر میریٹس - لیکن جن کے ۳۱۰ مارکس ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جن کے ۲۳۲ مارکس ہیں ان کو لیا گیا ہے - ۲۳۲ تو درکنار - گوا میڈیکل کالیج کے اسٹوڈینٹس کو داخلہ دلایا - بوائز اینڈ گرلس کو - جن کے ۲۳۰ سے بھی کم مارکس ہیں - یہ چیزیں وہاں سامنے آئی چاہوں گا کیونکہ ویسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ان سب کے وہاں پر موجود رہنے کے باوجود آج بھی ہمارے بارڈرس انسیف ہیں - وہاں ایک معقول فضا پیدا کیجئے، ایک ماحول وہاں پیدا کیجئے اور لوگوں کو اپنے زیادہ قریب لائیے - وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کمار صاحب نے وہاں پر یہ یہ غلطی اور فورجری کی بلکہ وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کمار صاحب دلی سے بھیجے گئے آئی - اے - ایس - آفیسر ہیں اور انہوں نے کشمیر میں یہ یہ گڑبڑی کی ہے یا فلاں فلاں سینٹر سے بھیجے گئے آئی - پی - ایس - آفیسر نے یہ یہ گڑبڑی کی ہے اور کشمیری جنتا دلی کی سرکار کو ان سب چیزوں کے واسطے ذمہ دار ٹھہراتی ہے -

شری واجپئی نے جو یہ جاننا چاہا ہے - کہ سنہ ۱۹۴۷ سے لیکر آج تک جو روپیہ وہاں کے لئے دیا گیا وہ کہاں گیا اور کیسے وہ خرچ ہوا اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہئے تو میں ان کے ساتھ اس بارے میں سہمت ہوں - میں نے بجٹ سیشن میں بھی اس چیز کو کہا تھا کہ اس کے لئے ہاؤس کی ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ اس کو دیکھے کہ وہ ۱۵۰ کروڑ روپیہ کہاں گیا اور وہ کس طرح خرچ کیا گیا .....

شری اٹل بہاری واجپئی - بخشی صاحب مجھے معاف کریں - ۱۵۰

میں سے ۲۶ آدمی جو آپ نے چنے وہ کس کوائٹیرین سے - ان کی خدملات کیا ھیں - کوالیفیکیشن کیا ھیں - سینیاریٹی کیا ھے - تعلیم کیا ھے - ایک نے تین آدمیوں کو ریجیکٹ کیا تھا - اس کو پروموشن دیا - دوسرے نے ۲ آدمیوں کو ریجیکٹ کیا تھا اس کو پروموشن تیسرے نے ۳ آدمیوں کو ریجیکٹ کیا تھا - اس کو پروموشن دیا - صرف ریجیکشن ھی کرائٹیرین رھا ھے - آپ زرا ان چیزوں کو دیکھ لیجئے -

آج آپ ایک ماحول پیدا کیجئے - کشمیر ھندوستان کا ایسا ھی انگ ھے جیسے ھندوستان کا کوئی اور پرانت - اتر پردیش ھو - مدھیہ پردیش ھو یا پنجاب ھو - یہ ناز نہ کریں کہ کشمیر کوئی الگ چیز ھے - جب تمام دنیا میں ٹونیشن تھیوری کی چرچا چلی جب آپ اور آپ کی مائٹی رعایت جناح کے سامنے جھکی - اس وقت کشمیر اور نیشنل کانفرینس جناح کے سامنے نہیں جھکی - ان کی ٹونیشن تھیوری کے سامنے نہیں جھکی - ۱۹۴۷ میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو کشمیر کو ھندوستان کے خلاف ورغلا سکتی - ھندوستان میں کون آئے - کشمیری آئے - کشمیر کی آنکھیں پاکستان کی طرف نہیں تھیں کیونکہ وھاں مسلم میجاریٹی میں تھے - بلکہ وہ

[شری غلام محمد بخشی]

ھیں - آپ نے بچوں کو وھاں پڑھایا - تعلیم عام کر دی - مفت کر دی انجینیرج کالیج کھولا - میڈیکل کالیج کھولا - آیورویدک کالیج کھولا - یونانی کالیج کھولا - ان اداروں کو چلتے ھوئے دس سال ھو گئے - ھزاروں لڑکے نکلے ھیں جنھوں نے تعلیم پائی ھے - ان میں سے ھزاروں ایسے ھیں جو بیکار ھیں -

میں شری واجپئی کو یاد دلانا چاھتا ھوں جو کہتے ھین کہ مسلم مائنڈ پاکستان کی طرف جاتا ھے - ھرگز نہیں جاتا - اگر مسلم مائنڈ پاکستان کی طرف جاتا تو تمام ایڈمنسٹریشن میرے خلاف تھا - میں اکیلے تن اے تنہا پارلیامینٹ کے لئے کھڑا ھوا - مجھے ووٹ کس نے دیا - وھاں کے مسلمانوں نے - وھاں کی جنتا نے - انہیں معلوم ھے کہ میرا اسٹینڈ کیا ھے کیا نہیں ھے - اصل میں وھاں جو پرابلیم ھے وہ ھے بیکاری کی - وھاں کی پرابلیم ھے کلائمیٹیک کنڈیشنس کی - افتسادی - گوڈ گورنمینٹ کی - کلین گورنمینٹ کی - جو آج تک نہیں ملی - آج دی جائے - آپ اپنی لسٹوں کو دیکھ لیجئے - شری واجپئی نے بھی کہا اور میں بھی کہتا ھوں - اگر آپ نام سننا چاھتے ھیں تو میں ایک ایک نام پڑھ کرسناونگا اور لسٹ کو میز پر رکھونگا - ۲۹۸

انٹرنیشنل فیلڈ میں ہم کہاں ہیں - میں عرض کرونگا کہ وہاں کے آرگنائزیشنس اور وہاں کے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دفعہ ۳۷۰ ان اٹس پریزینٹ فارم جاری رہے - نہیں تو میں ان کے سب-کانشس مائنڈ کو جانتا ہوں - ان کے سب-کانشس مائینڈ میں یہ ہے کہ ہم سے کچھ چھینا جا رہا ہے - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے کسی اسٹیٹ میں جس کی ہمارے یہاں کمی ہے - پریزیڈینٹ کی پاورس وہاں پر لاگو ہیں - ایلیکشن کمیشن وہاں موجود ہے - باقی تمام چیزیں وہاں موجود ہیں - آخر کمی کس چیز کی ہے - آہستہ آہستہ سب چیزیں ہوتی جاتی ہیں - یہاں پر شری چاگلا کی بات کہی گئی - شری چاگلا کی تقریر ہمارے سامنے ہے - سوال ہے اموشنل انٹیگریشن بڑھانے کا - وہاں اس قسم کی فضا اور اس قسم کا ماحول پیدا کیجئے تاکہ وہاں کے لوگوں کے سبکانشس مائینڈ میں جو یہ خطرہ رہتا ہے کہ جو بھی برائی وہاں ہوتی ہے چاہے وہ بخشی کے زمانے میں ہوئی ہو - چاہے عبداللہ کے زمانے میں ہوئی ہو چاہے صادق کے زمانے میں ہوئی ہو - وہ دھلی کراتا ہے - وہ دور ہو جائے -

ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں -]

دیکھتے تھے ہندوستان کی طرف کیونکہ سیکولرزم ان کی بنیاد تھی - ان کی بنیاد تھی نیشنلزم - ڈماکریسی اور سوشلزم - وہ جانتے تھے کہ اگر وہ پنپ سکتے ہیں تو ہندوستان کے اندر - ہندوستان کے باہر نہیں - لہذا وہ ہندوستان میں آئے اور اپنے جوان کٹوائے -

آپ نے جوانوں اور اپنی آرمڈ فورسیز کا تذکرہ کیا - میں ان کی قدرے منزلت جانتا ہوں - انہوں نے جو خون دیا - جو قربانی دی اس کو جانتا ہوں - وہ لداخ میں مرے - کارگل میں مرے - جوزیلا میں مرے - اوڑی میں مرے - چھمب میں مرے - کشمیری کے دل میں ان کے لئے عزت ہے - جب بھی موقع ہوتا ہے ہم ان کی یاد کرتے ہیں - اس میں ہم کس سے پیچھے نہیں ہیں - آخر وہ ہمارے ہیں - ہم ان کے ہیں - انہوں نے ہماری عزت بچائی ہے - ہماری جان بچائی ہے - ہماری ہی نہیں - بلکہ سارے ہندوستان کی - ہم اسی قدر اور قیمت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں -

اب سوال ہے اموشنل اور کلوز انٹیگریشن کا - وہ کیسے آئے - میں کشمیر کے حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں - آپ کا معاملہ سکیورٹی کونسل میں پڑا ہوا ہے - آپ اس کو وہاں سے ودڈرا کیوں نہیں کر لیتے نیشنل فیلڈ میں ہم کہاں ہیں -

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu) : Mr. Speaker, Sir, I have been very carefully listening to the speeches of Shri Vajpayee and Shri Gulam Mohammad Bakshi. At the very outset, I would like to point out that whenever this question has come before this House, unfortunately certain basic facts have been overlooked. Today also I was expecting a better deal from Shri Vajpayee. But I think in his overanxiety and his concern regarding certain conditions prevailing in Jammu and Kashmir State he has today also overlooked certain basic facts.

As Shri Gulam Mohammad Bakshi has pointed out, article 370 is not the issue which can be linked up either with the question of accession of the State with the rest of India or with certain other matters, legal and constitutional arrangements, between the Jammu and Kashmir State and the Indian Union. Shri Vajpayee referred to the fact that when this was discussed in the Constituent Assembly, at that time, Shri Gopalaswami Ayyangar made certain remarks, but he did not go further. The reasons, at that time, which were pointed out in the Constituent Assembly were basically three. One was that the war was going on in Jammu and Kashmir State. The second was that part of the State was and is still today under the occupation of the enemy. The third reason which Shri Gopalaswami Ayyangar gave in the Constituent Assembly was that this country was entangled with the United Nations as far as the Kashmir issue was concerned.

As Shri Gulam Mohammad Bakshi has very rightly pointed out, these were the conditions which existed at that time, and taking into consideration the situation prevailing at that time, the Constituent Assembly and the framers of the Constitution decided that certain special provisions should be put in the Constitution regarding Kashmir State. Let us see, after the lapse of time of 20 to 21 years, what has changed out of these three conditions. We fought another war with Pakistan in 1965 and still every day there is infiltration and there are other troubles from Pakistan going on all along the border. A part of the State is still under Pakistan's occupation. The Kashmir question is still before the UN. If you have come to the conclusion that even one or two of these 3 conditions have changed, why not withdraw the Kashmir question from the UN and see how the situation has improved over the years?

I have a complaint against the Central Government regarding article 370. In 1964 and in 1966 again Mr. Prakash Vir Shastri brought a Bill for abrogation of article 370. On both occasions, Mr. Nanda and Mr. Hathi who were then Home Ministers, came with a number of reasons and told the House what steps have been taken in the past several years through this article 370. They pleaded for the retention of that article. At that time, both of them promised on both the occasions that a careful analysis will be made of the whole situation and the Central Government will try to see what legal and constitutional effects abrogation of this article will have on the legal and constitutional situation prevailing there. My complaint is that the Central Government has not done anything in this matter. I would, therefore, appeal to the Home Minister. Since this issue has come before the House again, let the Central Government examine all the aspects from all the angles. If abrogation of this article will benefit not only the people of Jammu and Kashmir but of the whole country, certainly, it should be abrogated. But if it is going to create further complications, I would strongly plead that not only this House but the whole country should be satisfied that the retention of this article is for the advantage and benefit of the people of not only Jammu and Kashmir but the whole country.

16.21 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

As I said, through this article, so many measures have been taken. I

would like the Home Minister to clarify today at this point of time, what still remains which creates apprehensions and doubts in the minds of Mr. Vajpayee that even today there is some kind of a wall existing between Jammu and Kashmir and the rest of India. On this, I beg to differ from Mr. Vajpayee. If there is such a wall existing, it is a psychological one.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE: That is what I said.

SHRI INDER J. MALHOTRA: Mr. Vajpayee and his party can contribute a lot to remove this wall.

He said that 70,000 families from Poonch area went across the border in 1965. Let us be clear in our minds. Whosoever lives there, whether he is a Muslim, Christian, Hindu or Sikh, he is an Indian first. Under those abnormal conditions when infiltrators entered the Poonch area and were there for 20 days, if these families were under pressure taken away across the border by the infiltrators.....

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): Let us face facts. Did they go under pressure? No.

SHRI INDER J. MALHOTRA: They were taken away under pressure. If those Indians want to come back to their home, why should there be any objection?

Mr. Vajpayee said, in 1965, there was a B.D.O., who collaborated with infiltrators, who went to Pakistan and now he is a Member of the Legislative Assembly. I very humbly submit that such remarks, such statements based on wrong information does not help to improve the conditions in Jammu and Kashmir State. It does not help to remove the psychological wall which is existing today, to which Shri Vajpayee made a reference. I do not know whether Shri Vajpayee meant Chaudhuri Mohammad Iqbal who is a Member of the Legislative Council. At that time he was not a B.D.O. At that time it was Chaudhuri Mohammad Hussain who was working as B.D.O. in Dharal and Budil area. He never went into that area where the infiltrators stayed for 25 dyas or so. He never went to Pakistan. He resigned his job, fought the election and now he is a Member of the Legislative Assembly. Why I am making a reference to this is that such statements and remarks do not help and also create more apprehensions in the minds of the people of Poonch area.

May I say a word regarding the people who live in Poonch and Rajori area and I am sure the hon. Home Minister will bear me out. In 1965, the brave people of Poonch and Rajori area, majority of them being Muslims fought the infiltrators, cooperated with the Army Jawans and they stood bravely like one man against Pakistan. If we express any doubts about their loyalty, about their nationalism and about their duty to their country, I would very humbly submit to Shri Vajpayee that we are not trying to improve the situation; rather we are creating more complications.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal): Rajori District President is a Jan Sangh Muslim.

SHRI INDER J. MALHOTRA: I would request Shri Joshi to go into this area and see for himself the conditions there, and not to depend on the wrong statements based on false information and not to make wrong statements in this House based on false information supplied to him by his party men.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने नाम नहीं लिया था । अब मैं नाम लेना चाहता हूं । मैं साबित करने के लिए तैयार हूं । उनको रेवोल्यूशनरी काउंसिल का मैम्बर बनाया गया था । अब वह विधान सभा के सदस्य बन गए हैं । मेरे पास पूरी जानकारी है । अगर आप निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं तो मैं साबित करूंगा । उनका नाम है श्री मुहम्मद हुसैन । आपको पता है इनके बारे में ?

SHRI INDER J. MALHOTRA: Regarding this, I am very sure that the hon. Home Minister will bear me out.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I did not mention the name of the gentleman in my speech. The name of the person concerned is Chaudhuri Mohammad Hussain.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): He mentioned both the names.

SHRI INDER J. MALHOTRA: Mr. Vajpayee, you are quite wrong.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Let there be an independent enquiry. I am prepared to place all the facts before such an enquiry committee.

SHRI INDER J. MALHOTRA: Mr. Vajpayee, you don't have full facts and full information. I am sure the hon. Home Minister will bear me out. As far as these two people are concerned, in 1965 the State Government and various other agencies did enquire into and found that there was nothing against these two gentlemen.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I have got a copy of the report of the Army.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Let there be an enquiry conducted by the Home Minister. All the facts can be placed before the enquiry.

SHRI INDER J. MALHOTRA: I am fully staisfied from whatever enquiry that was made that no gentleman was involved in any such case.

SHRI BAL RAJ MADHOK: Mr. Deputy Speaker, the Indian Army people did give a report. I can challenge this. You hold an enquiry with the Military Officers and they will come here and give their evidence. I challenge whether Mr. Malhotra is also prepared to face that enquiry. Why should he tell wrong things here? I know his difficulties.

मजबूरियां के बावजूद भी सत्य बोलो। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है यहां पर।

SHRI INDER J. MALHOTRA: I agree with certain things which Shri Vajpayee has said. What is the situation today in Jammu and Kashmir? There is so much of unemployment among the educated youth which has created a very grave situation.

SHRI J. B. KRIPALANI: Even after so many of them have come to India?

SHRI INDER J. MALHOTRA: Very few have come to India. Then, as has been pointed out by others, Central Government have not given any major industrial projects to that State. In order to create further employment potential it is very necessary that the Centre should initiate proposals for having some industrial projects there.

Here I would like to make a suggestion for the consideration of the hon. Home Minister. In order to have full and complete emotional integration, as a pilot project let them make a survey of the educated unemployed in Jammu and Kashmir area. Let them analyse their educational background, their capability and ability to do particular jobs. In this State the only major employer is the State Government and there are obvious limitations on the capacity of the State to provide employment to all educated people. Therefore, they should be provided employment in other parts of India according to their educational qualification. And if they get employment in other parts of India, they will take more interest in those States and will come more closely to the people living in those States. So, in this way we will be able to achieve complete and full integration of the people of Jammu and Kashmir with the people of the rest of the country.

SHRI J. B. KRIPALANI: How will you not have educated unemployed when education up to MA in your State is free? Let them put some restrictions on free education and then there will not be so many unemployed.

SHRI INDER J. MALHOTRA: Lastly, I would submit that basically there are no two opinions that the

constitutional disparity which is existing today must go. But I have some apprehensions in my mind...

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE: Don't have any.

SHRI INDER J. MALHOTRA: I want to be assured by the Central Government that by doing this a constitutional or legal vacuum will not be created. Shri Vajpayee referred to the separate Constitution of Jammu and Kashmir. Under that Constitution some radical reforms have taken place in certain respects in Jammu and Kashmir. For instance, land reforms have been introduced in that State. Now if that separate Constitution is scrapped, a legal vacuum is created and if these reforms are challenged before the courts, it will create an adverse effect in the minds of the people of Jammu and Kashmir.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda): But why should they be challenged?

SHRI INDER J. MALHOTRA: Therefore, as I suggested a little while ago, let the Central Government or the Home Minister have a team of legal and constitutional experts to examine the whole issue and come to a conclusion whether keeping this article 370 in the Constitution will be beneficial to the country or abrogating it will be beneficial to the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri C. C. Desai.

SHRI C. C. DESAI (Sabarkantha): Mr. Deputy-Speaker, Sir....

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो मुझे बोलना चाहिए था। आप को याद होगा कि पिछले अधिवेशन में मेरे नो-डे-येट-नेम्ड मोशन के बारे में यह कहा गया था कि चूंकि श्री बाजपेयी का निजी प्रस्ताव आ गया है, इस लिए मेरे मोशन को उसके साथ ही ले लिया जायेगा। बख्शी साहब काश्मीर के हैं, इस लिए मैं बोला नहीं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your Resolution is a little wider in the sense you wanted to discuss all the border issues; not only Kashmir.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप शायद एमेंडमेंट के बारे में कह रहे हैं। पिछले अधिवेशन में अगले सप्ताह के काम की घोषणा करते हुए डा० राम सुभग सिंह ने मेरे नो-डे-येट-नेम्ड मोशन के बारे में भी कहा था। लेकिन चूंकि श्री बाजपेयी का निजी प्रस्ताव स्वीकार हो गया था, इस लिए स्पीकर साहब ने कहा था कि मेरे मोशन को पृथक रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है, उस प्रस्ताव के साथ ही ले लिया जायेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will call you after Shri Desai.

SHRI C. C. DESAI: Mr. Deputy-Speaker, Sir, nobody can have any disagreement with Shri Vajpayee in his desire to have complete integration throughout the length and breadth of the country, but in this particular case there is a historical background which is responsible for a separate status and for different treatment for the State of Jammu and Kashmir. Even if it was not so, we have not complete or total integration in the country in every respect. For instance, we have reserved seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That was to be reviewed and, I suppose, even when the review takes place, the present position will continue because the people concerned will not give their consent to any alteration in the existing privileged position.

This is a vast and complicated country and it is not unusual or impossible that in this country we should have many forms of Constitutions and different types of States varying in different degrees of advancement or even civilization. We should not particularly have a slogan of integration. For instance, our Government is now negotiating with the underground Nagas and other Nagas and it is just possible that ultimately a solution or decision may be reached which may give again a special status to the Nagas with due regard to the special circumstances attending the Naga problem. Similarly with the Mizo problem, the Hill Tribes

[Shri C. C. Desai]

and so on. There are so many problems and complete uniformity is not necessary and not possible. It is not against the best interests of the country also if we have got different forms of States in the length and breadth of the country.

In this particular case there is history which is responsible and which accounts for the special status of Jammu and Kashmir. It goes back to 1947 at the time of the conflict and the last accession which India took from the Indian States. All the other accessions were completed before the 15th August, 1947, but it is the accession of Jammu and Kashmir which came later and that came atfer a conflict. It was at that time that our leaders, both Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel, gave an undertaking to the people of Jammu and Kashmir that they would be given special status and special consideration and that integration would be achieved as soon as they were free and were agreeable to accept integration.

As I said, I agree with Shri Vajpayee that integration is desirable and I hope that it will be achieved sooner rather than later. But merely moving a motion here or passing a Resolution here or talking about it again and again, as we have been doing, is not going to help that process of integration but, on the other hand, is going to give a setback to the process of integration. The less we talk about it, the better. When the people of Jammu and Kashmir feel that they are part and parcel of India, that their interests and safety and welfare are bound up with the welfare and security of India, then is the occasion for pressing for integration. Even then that urge for integration must come from them rather than be imposed from above.

Therefore, in my judgment, the process of integration should not be imposed by Parliament. Naturally, Parliament will be concerned with it because that will amount to an amendment of the Constitution, but the initiative and the progress must come from below, from the people of Jammu and Kashmir. They are the people to decide to what extent they want separate status and safeguards and want the continuance of the existing special privileges. Anybody who goes there comes back with the impression that there is still considerable discontent and dissatisfaction with the Indian administration or rule. So this is not the time and situation under which we can ask for or expect integration. What is really required in Jammu and Kashmir, so far as we can see, is that there should be good government in Jammu and Kashmir. There should be free and fair elections in Jammu and Kashmir. Let first things come first. Once you have had free and fair elections and a good representative Government installed in Srinagar, then is the time to move for further integration and that must be done through the Legislative Assembly or, for that matter, even a Constituent Assembly may have to be called specially for this purpose. It is only then, when it is passed by the Legislative Assembly or the Constituent Assembly and accepted by the people of Jammu and Kashmir that the Parliament should be called upon to complete the process of integration by abrogation of article 370.

It is not that we have one law for everybody in this country. Take the case of monogamy. We do not have the law of monogamy applicable to all communities. We have it applicable to every community except Muslims. What I am saying is that there has to be diversity in this country and we have to get used to the dictum of unity in diversity. That is a special feature of this country dictated by the fact of our size, of our population and the many religions and communities that live in this country. In any case, as I said, it is a question of our pledge to the people of Jammu and Kashmir. It is now said that the time has come when there should be complete integration.

I also heard the other day, when the question of the continuance of the privy purses of the rulers came, the Congress Benches and many of the

people over here, saying that times have changed and that it is an anarchonism and that in accordance with the sign of the times we must abolish the privy purses and so on. These privy purses were given as a pledge, were given as a compromise, were given as an undertaking, by the leaders of the country and, therefore, has the same sanctity as the sanctity attached to the pledge and the undertaking given to the people of Jammu and Kashmir that they will enjoy the special status given in the Constitution of India. You cannot have the pledge broken in one respect and expect that the pledge will be followed or fulfilled in another respect. You must have the same policy of honouring all the pledges given at the time when the Constitution was framed or at the time of seeking integration, unity and progress.

We must consider the circumstances prevailing at that time. We do not change simply because there has been a change or smiply because the Government or the Parliament has the power to abrogate article 370 of the Constitution or enact legislation which will change the character of the State of Jammu and Kashmir.

I agree that this should be done. But, I am afraid, the propaganda carried on by some people which goes against the secular concept of the country will give a set-back to all the processes of integration as we desire them to be. My submission to my friends here will be that while we should ask for, hope for and pray for integration, we should not press the matter to a point where it will go against the wishes of the people of the State. To the extent the wishes of the people are taken into account and we say, as they wish, as they agree to integration, so will the integration take place, then, it should be all right.

I do not want to go into the general administration of Jammu and Kashmir or whether Kashmir is a problem. But I do say, in order to see that the people of Jammu and Kashmir favour integration with the rest of India, the administration there must be such as will give satisfaction and as will be in conformity with the secular principles that are enshrined in our Constitution and that we all wish to follow.

The only other thing is that the Government also must take a hand in this process of encouraging the people of Jammu and Kashmir to ask for total integration, and that is by putting or installing into office a Government that is truly representative of the people, and if the government follows that principle, that policy, step by step, I have no doubt that what Mr. Vajpayee desires and what we all desire, namely, the total integration of Jammu & Kashmir with the rest of India, would be achieved.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों और व्यवहारों से दुविधापूर्ण स्थिति अब तक रही है । पिछले बीस वर्षों में उस चिन्ताजनक स्थिति को लेकर यहां समय-समय पर चर्चायें चलती रही हैं । तीन चार बार तो ऐसे प्रसंग भी आए हैं जिस में मैंने स्वयं विधेयकों के रूप में, कभी प्रस्तावों के रूप में इस चर्चा को उठाया है । लेकिन आज जैसी चिन्ताजनक स्थिति है उतनी इससे पहल कभी नहीं थी । जान बूझ कर मैं इस बात को यों कह रहा हूं कि अब तक जम्मू काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अमेरिका जो ब्रिटेन का चश्मा लगाकर सोचता या देखता था, उसकी भावना ही दयनीय थी । लेकिन अब कुछ दिनों से रूस का मन भी जम्मू काश्मीर राज्य के संबंध में हिल गया है । ताशकंद जाते समय हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री यह आश्वासन दे कर गए थे कि जम्मू काश्मीर राज्य के संबंध में वहां पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी । लेकिन ताशकंद समझौते में प्रत्यक्ष रूप से न सही अप्रत्यक्ष रूप से उस बात को सम्मिलित किया गया । इस से लगता है कि जहां शास्त्री

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री :]

जी पर कुछ और प्रकार के प्रभाव प्रयोग में लाए गए वहां जम्मू काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में भी दबाव निश्चित रूप से वहां डाले गए । इसलिए इस संबंध में आज जिस चिन्ताजनक समय में, इस सदन में हम विचार कर रहे हैं ऐसी स्थिति पिछले 20 वर्षों में शायद कभी नहीं रही ।

पहली भूल जम्मू काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में वह हुई जैसी एक अभी भूल यह सरकार नागालैण्ड के संबंध में भी कर रही है । जो हमारा घरेलू मामला है उस को विदेश मंत्रालय के साथ जोड़ कर पृथक कर रखा है । उसी प्रकार से भूल हुई जम्मू काश्मीर राज्य के संबंध में जिस को गृह मंत्रालय के साथ रखना चाहिए उस प्रश्न को विदेश मंत्रालय या प्रधान मंत्री के मंत्रालय के साथ जोड़ा गया । हमारे देश की राजनीति की यह बहुत बड़ी भूल पहले से रही है कि सिद्धांतों से हट कर के यह व्यक्तिवादी अधिक रही उसी का परिणाम यह रहा कि जब सारी देशी रियासतों का समाधान और उन के विलय का प्रश्न सरदार पटेल को सौंपा गया तो जम्मू काश्मीर राज्य की समस्याएं श्री जवाहर लाल नेहरू को सौंपी गई । उसी के परिणाम स्वरूप जम्मू काश्मीर राज्य की वह हड्डी इतनी बुरी तरह से आज तक हमारे गले में अटकी हुई है कि हम ढंग से उस प्रश्न का समाधान नहीं कर पाए ।

जहां तक धारा 370 का संबंध है मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस समय गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत थे, उन्होंने श्रीनगर की एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि काश्मीर के भारत में विलय का प्रश्न कभी का हल हो चुका है अब इस चैप्टर को दोबारा नहीं खोला जायगा । श्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं इसी सदन में कहा था कि धारा 370 काफी हद् तक घिस चुकी है । जो थोड़ी बहुत रह गई है वह आने वाले समय में जल्दी ही घिस जायगी । गृह मंत्री नन्दा जी ने दो बार यह कहा था कि बहुत कुछ तो हिन्दुस्तान के कानून जम्मू काश्मीर में लागू हो चुके हैं । जो रह गए हैं वह भी लागू हो जाएंगे । अब मैं वाजपेयी जी के इस कथन से सर्वांश में सहमत हूं कि इस धारा 370 जो गली सड़ी है उस धारा के लगे रहने से जम्मू काश्मीर राज्य की जनता के मन में दुविधा बनी हुई है । जब हम भारत के अभिन्न अंग हैं जैसे दूसरे राज्य हैं तो भारत के संविधान में 370 धारा पृथक से रखने की क्या आवश्यकता थी ? इसलिए मेरा अपना निवेदन है कि जिस धारा का बहुत-सा अंश समय के साथ-साथ अनुपयोगी हो चुका है तथा जो संविधान के अन्दर नहीं रहनी चाहिए थी उस धारा को पहले तत्काल समाप्त किया जाये जो उस राज्य के निवासी हैं उन के मन से सब से पहले इस दुविधा को समाप्त किया जाये ।

दूसरी बात जम्मू काश्मीर राज्य में जनमत लेने के संबंध में मैं कहना चाहता हूं । पहले भी इस की चर्चा एक बार मैं ने की थी । आज फिर बलपूर्वक उस बात को दोहराना चाहता हूं । श्री जवाहर लाल नेहरू ने जिस समय यह कहा था कि जम्मू काश्मीर राज्य में लोगों की राय जानी जायगी । मेरा अपना कहना यह है कि श्री जवाहर लाल नेहरू ने उस समय एक भूल की । अगर राय जाननी ही थी तो उसी तरह से तत्काल जाननी चाहिए थी जैसे जूनागढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ के लोगों की राय जानी थी ।

दूसरी बात—जवाहर लाल नेहरू की यह व्यक्तिगत इच्छा थी या प्रधान मंत्री के रूप में आकांक्षा थी ? जो भी हो हम ने भारतीय संविधान का कहीं इस को अंग नहीं बनाया कि जम्मू काश्मीर राज्य का विलय जम्मू काश्मीर राज्य की जनता से पूछ कर किया जायगा । जम्मू काश्मीर राज्य का भारत में विलय वहां के महाराजा ने उसी प्रकार से किया था जिस प्रकार से जयपुर, जोधपुर आदि दूसरी रियासतों के राजाओं ने किया था । आज शेख अब्दुल्ला या प्लैबिसाइट फ्रंट या

उनके कुछ साथी उस गली -सड़ी कढ़ी के अन्दर फिर से उबाल लाना चाहते हैं और जनमत संग्रह की बात फिर दोबारा खड़ी करना चाहते हैं, परन्तु फिर हिन्दुस्तान की दूसरी रियासतें अगर इस बात को कहें कि जम्मू-काश्मीर में यदि जनमत हो सकता है तो फिर जयपुर, जोधपुर में जनमत क्यों नहीं हो सकता ? दुर्भाग्य से आज देशी रियासतों में, रजवाड़ों की जो स्थिति है, वहां के वर्तमान शासन के कारण वह भी सदन को विदित है। मैं उस की चर्चा विस्तार से यहां नहीं करना चाहता। जैसे हमारे पीछे बैठे हुए मित्र अभी ग्वालियर का नाम ले रहे हैं। वहां से उनका शायद कोई खास लगाव है। लेकिन यह ही स्थिति रही तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनमत केवल काश्मीर के अन्दर ही नहीं होगा या वह जनमत फिर देसी रियासतों में ही नहीं होगा। अगर जनमत कराना है ही तो फिर पाकिस्तान बनने से पहले काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर द्वारिका तक का जो भारत था, वह सब एक मान कर जनमत होना चाहिए। हिन्दुस्तान की जनता से पूछना चाहिये कि वह विभाजन चाहती भी है या नहीं ? इस से खान अब्दुल गफ्फार खां और उन के साथियों की इच्छा भी पूरी होगी और जनमत की भावना का आदर भी होगा। क्योंकि उस समय देश के भाग्यविधाताओं ने देश की जनता से पूछ कर देश के विभाजन का निश्चय नहीं किया था। इस लिये जनमत की बात कह कर हिन्दुस्तान के उस कड़वे और विषैले अध्याय को दोबारा न खोला जाय।

एक बात का कष्ट मुझे अवश्य है। गृह मंत्री चह्वाण भी यहां पर मौजूद हैं। किसी दूसरे राज्य में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार खुली चुनौती बगावत की देता, तो कहा जाता कि उस पर कार्यवाही की जायेगी, उस पर सख्त कानून लागू होंगे। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने अभी पीछे श्रीनगर की कान्फ्रेंस में जिस नंगी भाषा का प्रयोग किया उस पर सरकार चुप है। "आजादी हिन्दुस्तान की सरकार थाली में रख कर काश्मीर के लोगों को नहीं देगी, इसके लिये संघर्ष करना पड़ेगा। काश्मीर के लिये मेरा एक ही नारा है या तो आजादी के लिये संघर्ष करो या फिर समाप्त हो जाओ, बार बार इस सवाल को मत उठाओ।" मैं गृह मंत्री चह्वाण से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्पष्ट आवाजें आने के बाद भी गृह मंत्रालय क्यों इस बात पर चुप बैठा हुआ है ? क्यों इन को सहन करता चला जा रहा है ? क्या गृह मंत्रालय के गुप्तचर विभाग ने इस प्रकार की रिपोर्टें नहीं दी हैं कि अभी भी काश्मीर के अन्दर कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो पोलिटीकल कान्फ्रेंस से सम्बन्धित हैं। मैंने पिछले अधिवेशन में कुछ इस प्रकार के कागजात सदन की मेज पर रखे थे जो पोलिटीकल कान्फ्रेंस के एक नेता से सम्बन्धित थे। पाकिस्तान से आर्थिक मदद लेने के लिये उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था—उस की फोटो-कापी मैंने यहां पर रखी थी।

मुझे खुशी है इस बात की कि श्री जयप्रकाश नारायण ने— वर्षों की टक्कर खाकर या कैसे उन के विचारों में सुधार हुआ है—उन्होंने कहा है कि जम्मू-काश्मीर का संविधान के अन्तर्गत ही निर्णय होगा। लेकिन श्री जयप्रकाश नारायण ने दूसरी भी एक बात कही है। भारत सरकार इस प्रकार की स्थिति काश्मीर की घाटी में न आने दे कि जो ज्वालामुखी वहां फूटनेवाला है उस की देर तक उपेक्षा करे। हमारी सरकार की नीति हो गई है— समस्याओं को टालना। समस्याओं को टालना वह एक राजनीतिक बुद्धिमत्ता मानते हैं। वह समझते हैं कि जितना किसी प्रश्न को लम्बा टालते चले जाओ, लोग उस को भूलते चले जायेंगे। लेकिन कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिनको टालने से लोग भूलते नहीं। वह भयंकर रूप लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। इस लिये काश्मीर घाटी की स्थिति को टालना नहीं चाहिये। उसके समाधान के लिये कुछ उपाय ढूंढने चाहियें।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

जहां तक वर्तमान सादिक साम्राज्य का सम्बन्ध है उसमें जो स्थिति जम्मू काश्मीर में इस समय है, मैं विस्तार से उन की चर्चा नहीं करना चाहता। आज उनके मंत्रीमंडल में कौन-कौन ऐसे सदस्य हैं, जिनके सगे-सम्बन्धी पाकिस्तान में बड़े अफसर हैं। मैं केवल इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि जिस समय गृह मंत्री चह्वाण नेशनल इन्टीग्रेशन कान्फ्रेंस के समय वहां पर मौजूद थे उसी समय जम्मू-काश्मीर राज्य के एक मिनिस्टर हैं, जिनका एक अखबार वहां पर निकलता है **चिनार**। यह अखबार उन दिनों नेशनल इन्टीग्रेशन कान्फ्रेंस के खिलाफ अपने एडिटोरियल में किस प्रकार का ज़हर उगल रहा था, मैं उन के विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं आज ही इस प्रकार का समाचार शायद आपको मिला है कि इसी प्रकार के व्यक्तियों का वहां की विधान सभा और विधान परिषद् के अन्दर बहुमत होता चला जा रहा है। उन लोगों को देशभक्त माना जा रहा है। अभी परसों जो व्यक्ति वहां कोन्सिल के लिये चुना गया है सारा जम्मू-काश्मीर राज्य उनको जानता है। पाकिस्तान के साथ वह नमक का स्मलिंग करते थे। लेकिन आज वह देशभक्त हो गये हैं और वहां की कोन्सिल के लिये चुने गये हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में हमें गहराई से सोचना चाहिये।

सन् 65 में पीछे पाकिस्तान के साथ भारत का संघर्ष हुआ। 18 करोड़ रुपया उन लोगों के लिये हम ने दिया था जो पाकिस्तान और भारत के संघर्ष से विस्थापित हो गये थे। इस में से 12 करोड़ रुपया केवल जम्मू-काश्मीर के लिये था। इन विस्थापितों में जम्मू, उड़ी, पुंछ और राजौरी क्षेत्र के विस्थापित ज्यादा थे। क्या कभी गृह मंत्री जी ने पता लगाया है कि इस 12 करोड़ रुपये का वहां पर किस प्रकार वितरण हुआ या यह 12 करोड़ रुपया कहां जाकर लगा। ये सारी बातें भारत सरकार की आंखें खोलने के लिये पर्याप्त होनी चाहियें।

अगर गृह मंत्री इस बात से खुश हैं कि जम्मू-काश्मीर के अन्दर कांग्रेस की स्थापना हो गई है और वहां की सरकार कांग्रेस की सरकार है जैसी दूसरे प्रदेशों में है तो मैं उन से कहना चाहता हूं कि वह धोखे में हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है? शायद चह्वाण साहब को भी इस की जानकारी होगी। आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के प्रेजिडेन्ट श्री निजलिंगप्पा जम्मू-काश्मीर राज्य के इतिहास में पहली बार श्रीनगर गये थे: लेकिन जम्मू-काश्मीर राज्य के मुख्य मंत्री का साहस नहीं हो सका कि श्री निजलिंगप्पा के लिये श्रीनगर के अन्दर सार्वजनिक सभा करते। प्रधान मंत्री जी की जो सभा हुई, उसमें चुने हुए लोगों को ही एक बाग में बुलाया गया और वहां उन का भाषण कराया गया। मैं स्वयं श्री चह्वाण की बात कहता हूं। जब मैं वहां से कांफ्रेंस के बाद अन्तिम दिन पहलगाम जा रहा था, रास्ते में देखा 15–20 बड़ी बड़ी कारें चली जा रही थीं। मैंने पूछा कि क्या है? यह कैसा काफ़ला है? मालूम हुआ कि एक गांव के अन्दर गृह मंत्री चह्वाण साहब का भाषण होना है। जो सादिक आज वहां के मुख्य मंत्री हैं, मैं उन्हीं के साम्राज्य की कहानी कह रहा हूं। उन का साहस नहीं जो श्रीनगर में सार्वजनिक सभा करा सकते। आज वहां बलराज मधोक की सार्वजनिक सभा हो सकती है, शेख अब्दुल्ला की हो सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दे सकते हैं, लेकिन सादिक साहब, जो जम्मू काश्मीर राज्य के मुख्य मंत्री हैं, वे सार्वजनिक सभा श्रीनगर शहर में नहीं कर सकते, जिनको आप कांग्रेसी कहते हैं। आप थोड़ा सा इस बात पर गहराई से विचार कीजिये मैं यह सरकार की दृष्टि से नहीं, आपके संगठन के हित की दृष्टि से भी कह रहा हूं। इन लोगों के पिछले जीवन की पृष्ठभूमि क्या रही है? सचमुच वे कांग्रेसी हैं या कोई छद्मवेशधारी हैं जो कांग्रेस का आवरण ओढ़ कर उस में आते चले जा रहे हैं।

16·56 hrs.

[SHRI HEM BARUA *in the Chair*]

अभी पीछे अविश्वास प्रस्ताव के समय मैंने एक चर्चा की थी कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर राज्य का जो भाग लगता है, वहां पर मिलिट्री के रिटायर्ड आदमियों को बसाया जाये । इससे पाकिस्तानी आक्रमण और इस प्रकार की छोटी-छोटी घुसपैठ पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकेगा । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य के मुख्य मंत्री और उन्हीं के स्वर से स्वर मिलाकर बोलने वाले श्री अफजल वेग को उस में भी साम्प्रदायिकता दिखाई दी । उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया कि यह राज्य में हिन्दुओं को बसाने की भावना से कहा जा रहा है । हम सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बात कह रहे हैं लेकिन वे उस को भी साम्प्रदायिक रंग देकर सोचते हैं । क्या उनके हाथ में आप देश और राज्य को सुरक्षित मानते हैं ?

जहां तक उनके निजी व्यय का सम्बन्ध है —बक्शी साहब और उनके सम्बन्धियों ने भी किस प्रकार अपने प्रधान-मन्त्रित्व काल में उस पद का दुरुपयोग किया मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता । लेकिन मेरा कहना यह है कि वर्तमान मुख्य मंत्री तो कहीं उसी रास्ते पर नहीं चल पड़े हैं । मैं उनके सगे सम्बन्धियों की बात अभी नहीं कहना चाहता । मैं केवल उनकी ही बात कहना चाहता हूं । पिछले साल में अकेले कश्मीर के मुख्य मंत्री का जो टेलीफोन का बिल था वह दो लाख रुपये था— जब उनसे पूछा गया कि दो लाख रुपये के ट्रंक-काल आपने कहां किए ? इतना ज्यादा व्यय किस प्रकार से हुआ तो कहने लगे—एक लाख रुपया मुख्य मंत्री की हैसियत से, पचास हजार रुपया होम मिनिस्टर की हैसियत से और पचास हजार रुपया शिक्षा मंत्री की हैसियत से खर्च हुआ । यानी जब शिक्षा मंत्री होते हैं तो कोई दूसरा रूप ले लेते हैं जब गृह मंत्री होते हैं तो कोई दूसरा रूप ले लेते हैं और जब मुख्य मंत्री होते हैं तो कोई तीसरा ही रूप ले लेते हैं । क्या केन्द्र में भी कोई मंत्री इस प्रकार का है जिसका ट्रंक-काल का बिल दो लाख रुपये आता हो । क्या गृह मंत्री कभी इस बात को सोचते हैं कि वहां पर किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है ?

श्री वाजपेयी जी कह रहे थे कि पिछले 20 वर्षों में जम्मू-कश्मीर राज्य के लिये 300 करोड़ रुपया दिया गया । सभापति जी, मेरा कहना यह है कि जो तीन अरब रुपया जम्मू-कश्मीर पर व्यय किया गया उस का परिणाम क्या निकला । इस तीन अरब रुपये को सहयोग के रूप में, ऋण के रूप में या अनुदान के रूप में देने के बजाय यदि जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने की योजनायें बनाई जातीं तो उस का सदुपयोग हो सकता था । लेकिन तीन अरब रुपया हमने वहां ले जाकर रख दिया और उनके डिस्पोज़ल पर छोड़ दिया वह जिस तरह से चाहें उस का उपयोग करें । जैसे दूसरे राज्यों को पैसे देते हैं और देखते हैं कि उस का सदुपयोग होता है या नहीं ? आपको जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार से सोचना चाहिये था कि वहां पर पैसे का सदुपयोग होता है या नहीं होता है ।

एक बात से मैं सहमत हूं—जैसा मल्होत्रा जी कहते हैं कि वहां केन्द्रीय सरकार को कुछ इस प्रकार से कारखाने बनाने की योजना बनानी चाहिए थी— मैं उस से भी आगे जाकर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जम्मू-काश्मीर राज्य के जो शिक्षित युवक हैं, उनको जम्मू-कश्मीर राज्य की चारदीवारी तक सीमित न रखा जाय । उनको महाराष्ट्र में सर्विस मिले, उत्तर प्रदेश में सर्विस मिले, देश के दूसरे भागों का अंग उनको होना चाहिये । ताकि वे समझें कि भारत के दूसरे क्षेत्रों में हमारे प्रति क्या अपनेपन की भावना है । केवल राज्य की चारदीवारी तक उन को सीमित बना कर न रखा जाय, दूसरे क्षेत्रों में भी उन को लगाया जाय ।

एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं— वह यह है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके अन्दर विश्वास

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पैदा कराने के लिये भी वहां की सरकार का और केन्द्रीय सरकार का दायित्व होना चाहिये। आज तक इतने दिन के बाद भी वह लड़की जिसको लेकर श्रीनगर में कांड हुआ था, जिसकी हिन्तुस्तान में ही नहीं, दुनिया में चर्चा चली, उस प्रश्न का समाधान नहीं हो सका है। क्या यह न्याय का तकाजा नहीं था कि गृह-मन्त्री, जम्मू कश्मीर राज्य पर बल देकर कहते कि वह लड़की जब तक न्याय न हो, किसी तीसरी पार्टी के हाथ में दे दी जाए। आज उसका परिणाम यह है कि जो वहां अल्प संख्यक लोग हैं उनके अन्दर एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। वे यह समझने लगे हैं कि अगर इसी प्रकार की स्थिति यहां रही तो कहा नहीं जा सकता कि जम्मू कश्मीर राज्य के अन्दर हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा या नहीं। इसलिए राज्य की स्थिति के सम्बन्ध में दृढ़ निर्णय लेते समय, जो वहां पर थोड़े अल्पसंख्यक रह गये हैं, उनमें विश्वास जमाने के लिए, कुछ ऐसे भी निर्णय लने होंगे जिससे कि उनका धर्म, उनकी भावनायें और उनकी परम्परायें सुरक्षित रहें।

एक बात मैं निर्वाचन आयोग के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक के समय में, जम्मू काश्मीर विधान सभा का एक युवक एम० एल० ए० मुझ से मिलने के लिए आया। उसने कहा शास्त्री जी, इसके अन्दर भारत सरकार को क्या दिक्कत थी, क्या कठिनाई इसके अन्दर आ रही थी जो कश्मीर घाटी के अन्दर 42 असेम्बली की सीटें थी उनमें 22 सीट उन्होंने निर्विरोध घोषित करवा दीं। केवल 20 सीटों पर एलेक्शन हुआ। जिस ढंग के चुनाव हुए वहां उनका परिचय अभी बख्शी जी दे ही रहे थे। अगर यह होता कि एक भी सीट निर्विरोध न रखकर, सभी का चुनाव होता जिसमें कोई भी पार्टी चुनाव जीत कर आती, तो कश्मीर की घाटी के लोगों के मन में यह विश्वास तो जमता कि चुनावों से गवनमेंट बदली भी जा सकती है। यह इस प्रकार का निष्पक्ष हथियार है जिसका समय आने पर उपयोग किया जा सकता है। आज यह भावना भी वहां लोगों में समाप्त हो रही है। जब एक जिम्मेदार युवक ने मुझ से ऐसी बात कही तो मैने सोचा कि मैं इस बात को अपने शब्दों में गृह मंत्री के पास संसद के माध्यम से अवश्य पहुंचाऊंगा। हमें इस प्रकार का कोई असवर नहीं दना चाहिए जिससे राज्य के किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में इस प्रकार की भावना पनपे कि सरकार ने इस प्रकार के साधन तो हमें दिये पर उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है।

अब उपसंहार की ओर आते हुए, दो एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा। एक मुख्य बात ताशकन्द समझौते के सम्बन्ध में है जिसके बारे में गृह मंत्री भी यहां पर कई बार कह चुके हैं और सरकार भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि ताशकन्द की भावना का पाकिस्तान पालन नहीं कर रहा है। ताशकन्द समझौते का भारत की ओर से तो पालन किया जा रहा है लकिन पाकिस्तान उस को सम्मान नहीं देता। वह ताशकंद समझौता जिस के लिए हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधान मंत्री खोना पड़ा, जिस के लिए भारत के सम्मान पर ठेस पहुंची, जिस के लिए हमारे सिपाही जिन्होंने वहां पर बलिदान किए थे उन के परिवारों में विपरीत प्रतिक्रिया हुई। लकिन हमारी सद्भावना का पाकिस्तान ने लाभ नहीं उठाया। बल्कि उस को हमारी दुर्बलता मान कर ताशकंद समझौते की एक-एक बात का वह उल्लंघन कर रहा है। जब ऐसी स्थिति वहां हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिस भूमि को हम ने हजारों जवानों का खून बहा कर प्राप्त किया था, खास तौर से हाजीपीर जैसा क्षेत्र जो युद्ध की दृष्टि से एक विशेष महत्व वाला क्षत्र था, उन तमाम क्षेत्रों को आज भी पाकिस्तान अपने अधिकार में किए बैठा है। भारत सरकार किसी प्रकार की चर्चा भी उसकी नहीं करती जम्मू कश्मीर का जो भाग हमारी सीमा का ह वहां पाकि-स्तानी घुसपठिए आते हैं, आ कर तोड़ फोड़

करते हैं । जम्मू कश्मीर की सरकार एकाध बार पकड़ लती है लेकिन फिर क्या परिणाम हुआ उसकी जानकारी इस देश को नहीं मिलती । जब ताशकंद समझौते से पाकिस्तान ही बंधा हुआ नहीं रहा तो भारत सरकार कब तक उस मरे हुए समझौते से बंध कर रहना चाहती है ? इस के अतिरिक्त जो हमारा शष भाग आजाद काश्मीर नाम से है उस की चर्चा भारत सरकार कभी करती भी नहीं । मालूम यह पड़ता है कि सन् 47 में जो घोषणा हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री ने की थी, आज की भारत सरकार शायद उस घोषणा को और आजाद काश्मीर को अपने मस्तिष्क से भुला चुकी है । मानो वह आजाद काश्मीर सरकार को लेना ही नहीं है । क्या उसे किसी दूसरी सरकार को लना पड़ेगा ? अगर आप नहीं भी लेते तो कम से कम उस भावना को तो जीवित रखिए ताकि इन कुर्सियों पर जो दूसरे व्यक्ति आकर कभी बैठें वे उस भावना के अनुरूप निणय कर सकें और अपने देश के खोय हुए भाग को प्राप्त कर सकें । आजाद काश्मीर हमारा है, हम उस को प्राप्त कर के ही रहेंगे । यह भावना मरने तो न दें ।

तीसरी और आखिरी बात यह है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि आरम्भ में एक भूल भारत सरकार से हुई थी । अगर उस समय जम्मू काश्मीर के अन्दर ऐसे उद्यमी और परिश्रमी लोग जो कि व्यापार बढ़ा सकते थे, उद्योग धन्धे खड़े कर सकते थे उन को ले जा कर वहां बसा दिया गया होता तो वहां की आज दूसरी स्थिति होती । पर अगर आज इस चीज को किया जायेगा तो निश्चित रूप से ही उस की प्रतिक्रिया होगी । जम्मू काश्मीर राज्य की आंतरिक स्थिति से परिचित होने के नाते मैं कहता हूं कि आज उस को इस रूप में करने की आवश्यकता ही नहीं है । बल्कि उस से अच्छा दूसरा साधन एक और है । 45 लाख मुट्ठी भर लोगों को एक प्रान्त बना कर शीशे की आल्मारी में कब तक अलग रखेंगे ? आप इस प्रान्त के आकार प्रकार को बढ़ा दीजिए । हिमाचल और पंजाब को उसमें मिलाइए और अगर सुखाड़िया साहब तैयार हो जायें तो सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा के लिये राजस्थान को भी मिलाइए । इस प्रकार काश्मीर के लोग जालन्धर में व्यापार करें और जालन्धर के श्रीनगर म व्यापार करें । आपस में आदान प्रदान हो विचारों का भी और उद्योग धंधों का भी । अगर आवश्यकता हो तो कुछ समय के लिए उस क्षेत्र की बागडोर केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में रखे । आज पंजाब में तो राष्ट्रपति शासन है ही । उसी प्रकार कुछ दिन वहां भी हो । इस प्रकार का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण वहां पर अपनाया जाए और उसको अपना कर इस प्रकार से सीमावर्ती सुदृढ़ राज्य की स्थापना की जाये । मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार, जो अब तक जम्मू-काश्मीर के बारे में भूलें करती रही है अब उन भूलों को और आगे लम्बी न चलायेगी । अपनी भूलों का प्रायश्चित कर के जम्मू काश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए धारा 370 को तत्काल समाप्त करेगी तथा वहां की आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने क लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में फौज के रिटायर्ड जवानों को ले जाकर बसाएगी भी ।

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh) : Mr. Chairman, Sir, while I appreciate the sentiments which have been expressed by the hon. Member Shri Vajpayee and other Members on the floor of the House, I would like to mention that he has mixed up many things. The question of article 370, as has been pointed out by hon. Member Shri Gulam Mohammad Bakshi, was a question which was decided at a particular time and in a particular situation. Whether that has eroded the authority of Parliament or the country to look after the interests of Jammu and Kashmir is a matter which should be examined on its merits.

If you really go into the question and follow the Constituent Assembly debates, you will find what Sir Gopalaswami Ayyangar had said when he

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

was initiating the discussion. It has been mentioned in the Constitution that article 370 is temporary and transitional, and special provisions have been made in regard to that. Here I would like to quote the words of Sir Gopalaswami Ayyangar; what he said was very pertinent indeed to that situation and the situation remains the same even today. He said:

> "The discrimination is due to the Special conditions of Kashmir. This particular State is not yet ripe for this kind of integration. It is the hope of everybody here that in due course even Jammu and Kashmir will become ripe to the same sort of integration as has taken place in the case of the States. At present, it is not possible to achieve that integration. There are various reasons why this is not possible now.
>
> Now it is not the case nor it is the intention of members of the Kashmir Government, whom I took the opportunity to consult before the draft was finalised, it is not their intention that the other provisions of the Constitution are not to apply. Their particular point of view is that these provisions should apply only in cases where they can suitably apply and only subject to such modifications or exceptions as the particular condition of Jammu and Kashmir may require."

This provision has been kept in the Constitution for providing flexibility to Parliament, to make provision for any legislation for the interests of Jammu and Kashmir as an integral part of this territory. Jammu and Kashmir, when it acceded, it acceded fully. There is no doubt about it, but certainly we cannot ignore the fact that we have ourselves been a party to take the issue to the United Nations. I do not know how the hon. Member was saying that it can be withdrawn. It cannot be withdrawn unilaterally. How can we withdraw this question from the United Nations just by saying that we can take away this question from the United Nations? We may not sit or we may not join the discussions, but we cannot withdraw this from the Security Council of the United Nations. It is on the agenda of the Security Council of the United Nations. It is the property of the Security Council and the United Nations. Therefore, in that context, to-day we have to accept the situation in Jammu and Kashmir is not the same as in regard to the other States.

There is also the historical perspective. In the last 20 years, many legislations have been passed by Parliament which are applicable to all the States, but they are not automatically applicable to Jammu and Kashmir. Unless they are made so applicable by a Presidential order under article 370 and if this article is abrogated, how do we make the laws passed by Parliament applicable to Jammu and Kashmir? It cannot be done. I can understand erosion of article 370. That is possible and that is taking place every day.

So far as acquisition of property is concerned, it has been said that people from other parts of the country cannot acquire property in Jammu and Kashmir. But even today the fundamental rights of the Constitution are applicable to Jammu and Kashmir under a special provision. The fundamental right to acquire property is applicable to Jammu and Kashmir only with certain modification and reservation. Even if we abrogate article 370, we cannot ask any Indian in any part of the country to acquire property there, without amending the fundamental rights. Now the present position is, Parliament cannot amend the fundamental rights. There is a special provision after article 35—article 35A, which refers to the rights which have been secured to the permanent residents of Jammu and Kashmir. Therefore, to apply the provision relating to fundamental right to acquire property, it requires an amendment of this particular article which provides special powers for Jammu and Kashmir.

Then, article 370 gives this Parliament always an opportunity to look

at Jammu and Kashmir as and when we like to look at it. If we make it like any other State, Parliament's right is certainly eroded in respect of that State. Today in a federal structure, can you put any military permanently in the capital of any State as is being done in Srinagar? You cannot. You can put your military at any time at any place, without really taking orders from the Jammu and Kashmir Government. You cannot do it in other States. In Kerala, it was questioned by Mr. Namboodiripad even when the CRP was sent there. The composition of the federal structure is rapidly changing.

SHRI BAL RAJ MADHOK: In Srinagar and Jammu, there are permanent cantonments and the defence ministry can keep its forces anywhere likes. I do not know what law she has got in mind.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: They can, because Parliament has been in complete control over the current affairs of Jammu and Kashmir. Even for maintaining peace, much military personnel is being used. We have certainly put Jammu and Kashmir in a special category even for the mobilisation and deployment of military personnel. I do not mean and I have never said that the military personnel cannot be kept in other cantonments and deployed or the military people do not go to other States. But they are not deployed to other States as much as it is done to Jammu and Kashmir.

SHRI BAL RAJ MADHOK: That is because there is a state of war and cease-fire there. So, we are deploying and stationing the army.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: That is exactly the reason. When you asked for the abrogation of article 370, did I not say that article 370 was applicable because of the special conditions in Jammu and Kashmir? I think Shri Bal Raj Madhok is only corroborating what I have said that it is because of the special circumstance which is prevailing in Jammu and Kashmir.

SHRI BAL RAJ MADHOK: You are challenging the right of this Parliament to abrogate that article.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: I am not challenging the right of Parliament. Please bear with me. I am saying that the conditions that are prevailing there are different from the conditions prevailing in the rest of the country because, as the hon. Member himself has pointed out, there is the cease-fire line and we have to safeguard our interests. I do not say that military personnel cannot stay in any part of the country. What I have said is that the way we have deployed our military in Jammu and Kashmir we will not normally do in the case of other States, and this we could not have done if we have not had the authority of Parliament to issue a proclamation by the President under article 370.

SHRI BAL RAJ MADHOK: Absolutely wrong. If tomorrow there is a war in Rajasthan or in Assam, you can do the same thing, as you are now doing in Jammu and Kashmir.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: Therefore, I submit that article 370 at the moment is essential. It provides flexibility to the President and to the Parliament to issue any order under any law of this Parliament, without even consulting the State. We can do it. That is why all the laws that we have been applying to Jammu and Kashmir are under article 370, all the amendments that have been made applicable to Jammu and Kashmir are under this article. There is no other method of enforcing these laws in Jammu and Kashmir except article 370. If we take out article 370 I do not see any way by which this applicability can be maintained.

SHRI PILOO MODY: She has made a virtue of her encumbrance.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: Then, article 370 does not add or detract from the emotional integration of the people of Jammu

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

and Kashmir with the people of the rest of India. Article 370 relates to application of Central laws to that State because of certain peculiar conditions prevailing there. It does not in any way take away the spirit or feeling of nationalism from the people living there. It is an enabling provision which gives the President certain rights to exercise in regard to applicability of legislation to Jammu and Kashmir as he thinks desirable or proper. I do not understand how this takes away emotional integration of the people of Jammu and Kashmir with the people of the rest of India. If anything takes away emotional integration it is too much preoccupation with the problem of Jammu and Kashmir, the sense of suspicion that the hon. Members opposite are generating by talking about Jammu and Kashmir all the time and saying that it should be made an integral part of the country. By talking all the time that it should be made an integral part of the country we ourselves become a victim to the suspicion that perhaps it is not an integral part of the country. So much of preoccupation, so much of discussion that goes on in Parliament about the integration of Jammu and Kashmir and integration of Jammu and Kashmir people with the rest of the country has created a lot of misunderstanding about the position of Jammu and Kashmir *vis-a-vis* India. If we accept that it is one of the States or constituent units of India, if we also accept that because of certain peculiar conditions in that part of the country, by virtue of the authority of Parliament and by virtue of the powers given by the Constitution certain special provisions are made in relation to that territory, then there is no scope for any misunderstanding. We certainly do not abrogate the right of Parliament to provide that facility. By this provision we are strengthening the right of the people of this country, the right of Parliament and the right of the President to apply any law to any part of the country. I think this kind of preoccupation about the fear of national integration should not be allowed to generate so much of misunderstanding.

Moreover, I would like to say why many rights have been given to Jammu and Kashmir.

No part of this country, except the hill regions of the eastern and northern parts, is so poor in its *per capita* income as the valley part of Jammu and Kashmir. I am not talking about the people of Jammu who have got all the 12 months in a year to have at least some basis for subsistence; I am talking about the Gujars and the fishermen of the Kashmir Valley who do not come to the plains at all. In winter once I went to the Wular Lake. The lake was half frozen and the fishermen in cotton clothes with a Kangri were fishing in the lake which was frozen. Standing on the side of the lake was impossible for us. I do not know how those poor people really sustain themselves under that condition. Those people are so poor that they are not even conscious of the fact that so much prosperity has come to India. I can understand that Srinagar may have become very prosperous; I can also understand that some people have become very, very prosperous. But I cannot also ignore those people who are still so poor that you can hardly find such poverty and helplessness as you see in those people. For days and months communications get cut off and they do not know what is happening in other parts of the country. A person who does not get a job in Bihar, for example, goes to Calcutta. But look at the people who become snowbound and can never come to the plains to see the warmth and the light and some better subsistence than they have there.

It is because of that, that certain special provisions had been made about their property. Have we not made such a provision in regard to the Harijans? I know that the State Government of Bihar and some other State Governments, after they had received the notification from the Home Minister, have directed that no Harijan can sell his property without

taking Government's permission and that nobody can buy a Harijan's property without taking Government's permission. Is it not a special right or privilege conferred on the Harijans? Their property was being purchased by anybody and everybody and because they are poor they could not afford to have bargaining power. That is why this notification has been issued. It is for the good of those people whose interests should be looked after by the State.

I think, the special provisions, which have been made for the people of Jammu and Kashmir so far as property right is concerned, have been made because the people of that area are so poor that they have no subsistence for all the 12 months in a year and they have livelihood only for four or five months in a year. If we go and start buying their property we can afford it; we have bargaining power—it will really be very unfair to the people of Jammu and Kashmir who are poor. I am not talking about the people of Srinagar who have become prosperous but about the people in the Kashmir Valley.

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad) : Himachal Pradesh and Garhwal.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : I wish that this Parliament would legislate that nobody would be able to buy the property of the Tribals or the Harijans. I would certainly accept and welcome this proposition that nobody would be able to buy the property of the Tribals and the Harijans. It will be a good day indeed. It will be a very good thing to happen, and if it happens in some States. I do mind it and do not object to it till the economic condition of those places improves. I think, this article is not taking away from the interests of this country but is protecting some interest of the poorer population of Jammu and Kashmir.

Lastly, about emotional integration as Bakshi Sahib has said, emotional integration can only come by winning over the people of Kashmir. What are the political parties doing to win over the younger generation of Jammu and Kashmir? I am of the opinion that education which has been made free has not been conducive to winning much goodwill. Education was made free by the Jammu and Kashmir Government, with the result that they have lost revenue, which they could have easily earned, while it has not solved the problem.

How are the political parties contributing in solving the problem? By talking the way hon. Member, Shri Madhok, and other Members have talked, we are not going to bring about emotional integration.

SHRI BAL RAJ MADHOK : May I know what I have said which has gone against integration? I have said that Indian Army can go there. It is the law of the country. It is not said by me. It is said in the Constitution itself.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : The words that you spoke when you last went to Jammu and Kashmir.

SHRI BAL RAJ MADHOK : That was spoken by Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Patel and other Congress leaders. You did not have the courage to question them.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : Please remember your own words and go by the reaction that they create.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I go by every word that I spoke. I speak them here, in Srinagar and in Jammu. I do not speak one thing here and another thing at another place. I speak right things everywhere.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : That is the trouble. Whenever he speaks, he thinks everybody is appreciating him and getting convinced.

SHRI BAL RAJ MADHOK : May not be appreciated; it does not matter.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : He can go on speaking and he will go on speaking. He will

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

never stop it. But he does not realise that he has not got any praise anywhere, much less in Jammu and Kashmir.

The emotional integration has to be achieved by tackling their problems. You can say that the younger generation of Jammu and Kashmir is not as it should be. But what has happened to your younger generation in Allahabad? What has happened to your younger generation in Banaras? What has happened to your younger generation in other parts of the country?

SHRI PILOO MODY: Or even in Parliament.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: You are right in reminding me. What has happened to the older generation sitting here who preach sermons to the younger generation? The younger generation in this country is invincible. Therefore, their problems cannot be ignored. Their problems cannot be overruled. Their problems have to be tackled whether they are from Jammu and Kashmir or they are from any other part of the country. Can you bring emotional integration of the younger generation by legislation? You can never bring it. The younger generation there is seethed with discontent, whatever may be the other reasons. It is your good fortune that the younger generation here does not talk in the way in which the younger generation of Jammu and Kashmir talk. It is a fact that they talk in a different language. But can you cure that by legislation? You cannot cure that by legislation. Can you cure that by bringing in a piece of legislation and abrogating article 370 of the Constitution? It cannot be done so. They have to be won over with patience, with perseverence and with compassion and understanding. Indian democracy will not be governed by rules and laws. It will be governed by the authority and the sanctity we attach to the rule of law. Therefore, the sanctity is much more important, the emotion is much more important, the feeling is much more important rather than the pieces of legislation that we pass here. You passed the Sarda Act. You find out whether the Sarda Act has fulfilled its purpose. You passed the Dowry Act. You find out whether the Dowry Act has fulfilled its purpose.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You supported it.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: I supported it. I know that it has not fulfilled its objective. What I want to say is that the abrogation of article 370 is not going to solve the problem of the discontent of the younger generation. It has to be tackled with compassion and understanding. I would appeal to the hon. Members sitting opposite that they should make the issue as a national issue, not as a party issue. It is no use casting reflections on this party or that party. We are all sitting together here and there are certain issues which we can tackle together and not in isolation, not on the basis of the party.

With these words, I thank you for giving me an opportunity.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Mr. Chairman, Sir, I would just say that this is not a legalistic issue which we are discussing. This is a matter which—Shri Vajpayee pointed it out when he spoke—has to do with the solution of psychological problems that have cropped up over a number of years and that is why it is not necessary to bring to bear upon the discussion a merely linguistic approach.

Sir, I have listened to most of the discussion this afternoon and I must say I have been pained to notice that the powerful and passionate oratory which my hon. friend, Shri Atal Bihari Vajpayee has got and the powerful fluency which emanates so easily and gracefully from my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri, has been harnessed to a job which I do not consider to be in the best interests of the country. I do not understand why there is so much glib talk of national integration when the real problems which stand in the way of achieving integration are sought to be

brushed aside. It is quite easy to say how India is one from Kashmir to Kanya Kumari. And, for myself, I can say that it sends a thrill down my spine when I think of what was written in *Vishnu Purana* 1600 years or so ago;

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षं तद्भारतं नाम भारती यस्य सन्तति।।

That is, in the north of sea and the south of Himalayas, there is a country called Bharat, and Bharati, Indians, are her children. It sends a thrill down my spine and I am sure it excites everybody....

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue his speech on the next occasion. Now, we have to take up the half-an-hour discussion.

17·3 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PAY SCALES OF DELHI TEACHERS

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दिल्ली के स्कूलों में काम करने वाले तीस हजार अध्यापकों की दुखभरी कहानी कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । 1947 से आज तक के बाईस सालों में, दुख की बात है कि अध्यापकों का ग्रेड एक बार भी नहीं बढ़ा है । 1959 में केवल एक बार उनकी बैसिक पे में डी०ए० को मिलाया गया था । उसके बाद अभी कुछ महीने पहले शिक्षा मंत्री जी ने कुछ चीज उनके बारे में कही जिसका क्या परिणाम है वह मैं आपके सामने रखूंगा । कहने का मतलब यह है कि बीस साल से लगातार दिल्ली के अध्यापकों की जो तनख्वाह है, वह वही है जो 1947 में थी । इसके मुकाबले में जो कालेजों में पढ़ाने वाले लैक्चरर हैं और प्रोफैसर्स हैं उनके ग्रेड दो बार रिवाइज हो चुके हैं । इनके ग्रेड एक भी बार नहीं हुए हैं । दिल्ली के अध्यापक जो तनख्वाह 1947 में या 1950 में लेते थे वह तनख्वाह हिन्दुस्तान में टीचर्ज के जो पे स्केल थे दूसरे प्रान्तों में उन सब से ज्यादा थी । वे इसलिए ज्यादा थे कि यहां की लोकल कंडिशंज डिफेंट हैं, यहां पर जो अध्यापक काम करते हैं उनकी क्वालिफिकेशंज, उनका काम करने का समय सब मिला कर ज्यादा थे । साथ ही दिल्ली की एक विशेष स्थिति है । सब मिला कर उनकी तनख्वाह ज्यादा हुआ करती थी । लेकिन आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हरियाणा और पंजाब में अध्यापकों के पे स्केल ज्यादा हैं और दिल्ली के अध्यापकों के उन से कम ह ।

हमारे शिक्षा मंत्री जी स्वयं एक शिक्षक रह चुके हैं । मुझे खुशी है कि वे अध्यापकों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं । कितना उनके लिए वह कर पाते हैं यह मैं नहीं जानता हूं । लेकिन हमदर्दी उनके साथ उनकी है, इसको मैं मानता हूं ।

लेकिन सवाल क्या है ? सवाल यह है कि आया जो कमिशन की रिपोर्ट है उसमें डी० ए० मिला कर टीचर्ज की उतनी तनख्वाह होनी चाहिये या डी० ए० बाहर निकाल कर के उतनी होनी चाहिये । पंजाब गवर्नमेंट ने डी० ए० बाहर रख कर उनकी जो तनख्वाह बनती है उसको बेसिक तनख्वाह माना है । लेकिन हमारी सरकार कहती है कि डी० ए० मिला कर के उतनी तनख्वाह होनी चाहिए । इसलिए हमने जो ग्रेड दिया है और जो बाद में दिया है वह बहुत ज्यादा है ।

सभापति महोदय, मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जो सरकार ने दिया है उसका लाभ केवल पांच सौ अध्यापकों को हुआ है, तीस हजार अध्यापकों में से । सरकार ने केवल आठ लाख सालाना ज्यादा खर्च किया है । सरकार कहती तो यह है कि पन्द्रह लाख लेकिन मेरे हिसाब से केवल आठ लाख सालाना ज्यादा खर्च सरकार का हुआ है और केवल पांच सौ को तीस हजार में से इसका लाभ पहुंचा है ।